ज़वाबित

मय

आगाज वक्फ बोर्ड

१४ मई सन १९६२ ई. से तारीख रवां १५ दिसम्बर १९६८ तक

१–इखतियारात बोर्ड जो चियरमैन को तफवीज हुए !

२–इखतियारात बोर्ड जो सिकरेट्री को तफवीज हुए !

३–इखतियारात बोर्ड जो मिमबराने बोर्ड को तफवीज किए गए!

४–तनजीम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड !

५–तशकीलो तकर्रुर जिला वक्फ कमेटी !

मुतारज्जिम–
मोहम्मद ग़ज़न्फ़र अली खां
बी० एस० सी० अलीग
एडीटर "निशानेमंजिल"
भोपाल

बार दोम
२०००

कीमत एक रुपये पचास पैसे
१.५०

मतबूआ

—पैश लफ्ज—

कब्ल अजीं वक्फ बोर्ड एक्ट सन् १९५४ ई० के दबार दोत्तर जुमे पहला जुमेतुल उलमाहिन्द देहली और दूसरा भारत सरकार कीं तरफ से शाया हो चुके हैं ! जो अब नापेद है ! तीसरा जदीद और संबका तरजुमों से बहतर तरजुमा मोहतरम जहूरूलहई साहब बी. ए. एल. एलः बी. स्पेशल आफीसर वक्फ बोर्ड (साबिक तहसीलदार) ने सितम्बर सन् १९६८ ई० मे मुरत्तब और शाया किया है। लेकिन क़वाइद और ज़वाबित वक्फ़ बोर्ड के तरजुमे और इशाअत हनूज़ न हो सकी थी। बल्कि यह तो सिर्फ एकबार अंग्रेजी में मध्यप्रदेश सरकार के गज़ट में शाया हुए थे। जिनकी कापी भी दसतियाब नहीं होती !

वक्फ़ बोर्ड और इसके चियरमैंन खान शाकिर अली खान एम. एल. ए. ने जरूरी समझा कि औकाफ में से किसी भी नोइयत का तअल्लुक़ और दिलचस्पी रखने वाले ऊर्दूदां हज़रात की सहूलत और रहबरी के लिए कानून के साथ-साथ क़वाइद और ज़वाबित के तरजुमे भी शाया कराए जाऐं चुनानचे क़वाइद का तरजुमा जनाब नज़ीर अहमद खां साहब बी. ए. एल. एल. बी. भी मुशीर कानून वक्फबोर्ड (साबिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट व साबिक सिकरेट्री मध्य प्रदेश वक्फ़बोर्ड) ने फरमांया इत्तेफ़ाक़न जवाबित का तरजुमा मेरे सुपरूद हुआ जिसको मैंने औकाफ की खिदमत और वक्त की जरूरत समझते हुए जिस तरह पेश किया है, वह आपके सामने है।

इस तरजुमे पर जनाब नजीर अहमद खां साहब ने नज़रसानी की और मोहतरम जहूरूल हई साहब ने मुनासिब इसलाहो तरमीम से मेरी काविश को इस काबिल बनादिया कि एक मुफीद मैयशि तरजुमा हो गया, जिससे जावबित की हर मुमकिन रहबरी हासिल होगी ज़रूरत मन्द हज़रात को पूरा फ़ायदा हासिल हो सकेगा जिस दरजे में भी लोग इससे मुसतफ़ीद हों में इसे अपनी मेहनत का सिला तसव्वुर करूंगा।

भोपाल २७ नवम्बर १९६४ ई०　　　　गजन्फर अली खां

जवाबित

मध्यप्रदेश वक्फबोर्ड

भोपाल २१ सितम्बर सन् १९६४ ई०

नम्बर (१९६४-१९६५)

वनिफाज इख्तियारात मुंदरजा दफा ६८ वक्फ एक्ट सन १९५४ ई० (नं० २९ सन् १९५४ ई०) मध्यप्रदेश वक्फबोर्ड, मध्यप्रदेश गवर्मेन्ट की मन्जूरी मा कब्ल से जवाबित (रेगूलेशन) जैल वजा करता है।

मुखतसिर नाम ओर आगाज :-

(१) ये जवाबित-जवाबिता मध्य प्रदेश वक्फबोर्ड सन् ९६३ ई० कहलायेंगे।

(२) ये जवाबित फौरन निफाज पजीर होंगे।

तारीफात :-२ इन जवाबित में अगर सयाके इबारत का करीना इसके खिलाफ न हो तो।

(ए) "एक्ट" से मुराद वक्फ एक्ट सन् १९५४ इ० है।

(बी) "बोर्ड" से मुराद मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड है।

(सी) "चेयरमैंन" से मुराद बोर्ड का या किसी कमेटी का चियरमैंन है और इस में वह शखस भी दाखिल है जो बवक्ते मौजूदा बोर्ड के या किसी कमेटी के किसी जलसे की सदारत कर रहा हो।

(डी) "कमेटी से मुराद वह कमेटी है जो एक्ट के तहत कायम या मुर्करर की गई हो।

(ई) "फन्ड" से मुराद वह फन्ड है जो एक्ट की दफा ४८ के तहत कायम किया गया हो।

(एफ) "फार्म" से मुराद वह फार्म है जो इन जवाबित के हमराँह मुनसलिक है।

(जी) "गवरमेंन्ट" से मुराद मध्यप्रदेश गवरमेन्ट है।

(एच) "रूल्स" से मुराद मध्यप्रदेश वक्फ रूल्स सन् १९६० ई०

(आई) तमाम दूसरे ऐसे अलफाज मुसललहात के जो इन जवाबित में इस्तैमाल हुए हैं। लेकिन जिनकी तारीफ नहीं की गई है वही मानी होंगे जो उन के लिए करदन कानून और कवाइद में मुअय्यन किए गए हैं।

जलसे का वक्त और मकाम :- [१] बोर्ड का दफ्तर भोपाल में वाके होगा और बोंड के जलसे इसके दफ्तर में हुआ करेंगे या खास हालात में मध्यप्रदेश में किसी दूसरे मकाम पर भी जो बोंड इस गर्ज के लिए मुताअय्यन करे।

[२] बोंड का जलसा सिकरेट्री तलब करेगा जो चियरमेन के मशवरे से जलसे का वक्त और तारीक मुकर्रर करेगा ऐसा कोई मशवरा जदीद कायम शुदा बोंड का पहला जलसा तलब करने के लिए या चियरमेन की एक माह से जाइद रूखसत या किसी और वजा से अदम मौजूदगी के दौरान में जरुरी न होगा।

आम ओर खास जलसे :- ४ – [१] बोंड को इखतियार होगा के अपनी कार्रवाईयों के लिए उमूमन महीने में कम अज कम एक बार या अगर जरुरी हो तो कई बार अपना जलसा करे।

[२] चियरमेन या कम अज कम निस्फ तादाद मिमबरान खास जलसा तलब करा सकते हैं। मिमेंबरान की तहरीरी इसतिदा की वसूली से बारा योम के अन्दर अगर जलसा न हो तो तीन मिमबरान जिन्होंने तलबी जलसे की तहरीरी इसतिदा पर दसतखत किये हों खुद जलसा तलब कर सकते हैं।

जलसे की इत्तिला नोटिस :- ५ – [१] आम जलसे का नोटिस मिमबरान को पूरे दस योम कब्ल और खास जलसे का पूरे पाँच योम कब्ल जलसे के वक्त और मकाम और जलसे में गोर तलब ऊमूर [एजन्डा] की सराहत के साथ दिया जायगा और बोर्ड के दफ्तर में आवेजां किया जाएगा।

[२] जलसे का नोटिस दसती दिया जा सकता है या जरिये डाक [अन्डरसार्टीफिकिट ऑफ पोस्टिंग] "जेरे तसदीक डाकखाना" इरसाल किया जा सकता है।

[३] कोई जलसा महज नोटिस के नमूने में किसी नुक्स की बिना पर नाजाइज और बातिल नहीं करार दिया जाएगा।

जलसे का कोरम :-६- [१] बशमूल चियरमैंन पाँच मिमबरान से जलसे का कोरम पूरा हो जाएगा।

[२] अगर बोंड के किसी जलसे में उस के मुकर्रा वक्त से आधे घन्टे के अन्दर कोरम पूरा न हो तो ये जलसा उसी रोज किसी दूसरे वक्त के लिए या किसी और रोज के लिए जो सदर मुताअय्यन करे मुलतवी हो जाएगा। ऐसे मुलतवी शुदा जलसे के लिए कोई कोरम जरुरी न होगा।

[३] जो जलसा हनरोजा किसी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी किया गया हो इसके लिए कोई (नोटिस) दरकार न होगा बसूरते दीगर एक नोटिस बोंड के जुमला अरकान को दिया जाएगा।

जलसों का जावता और तरीके कार :-७ (१) सिकरेट्री जलसे में पेश होने बाले मामलात का एजन्डा मुरत्तब करेगा।

(२) "एजेन्डा" की एक नक्ल हर मिमबर को इरसाल की जायगी और बोंड के दफ्तर के नोटिसबोंड पर भी लगाई जाएगी।

(३) जलसे में होन वाले मामलात एजेन्डे में साफ और मुकम्मल दर्ज होंगें और मामलात मुन्दर्जा एजेन्डे के अलावा कोई दूसरा मामला चियरमेन की इजाजत या मिमबरान की अकसरयत रजामन्दी के बगेर जेरे गोर नहीं लाया जाएगा।

(४) हर मामला जो जलसे में पेश हो हस्ब तरतीव मुन्दर्जा एजेन्डा पेश होगा अगर ऐसी सूरत हो के कोई मिमबर किसी खास मामले को मुकददम करने की तजावीज करे तो चियरमेन ये तजवीज जलसे में पेश कर देगा और मिमबरान हाजिर की कसरतेराय के मुताबिक अम्ल करेगा।

(५) जलसा आम की कारवाई हस्ब तरतीब जेल होगी।

(ए) गुजिशता जलसा आम की और अगर कोई खास जलसा उसके बाद हुआ हो तो उसकी रुदाद पढ़ी जाएगी और अगर ये तोसीक करदी जाए के रुदाद सही मुरत्तिब हुई है तो जलसे का चियरमेन उस पर दसतखत करेगा।

(बी) गुजिश्ता जलसा आम के मुलतवी शुदा उमूर जेरेगोर लाए जाऐगे।

(सी) कमेटियों की रपोट्स और खुतूत अगर कोई हों पढ़े जाऐगे हिसाबात और तखताजात पर गोर किया जाएगा और उनको पास किया जाएगा।

(डी) जाँ बाद दूसरे मामलात जो इस जलसे के लिए मुकर्रर थे पेश होंगे ।

(इ) तहरीकात जिनका बा जाबता नोटिस दे दिया गया है जेरे बहस आऐंगे

(एफ) कोई मिमबर जब बोल रहा हो तो उस का कता कलाम नहीं किया जाएगा इल्लाउसूली नुकता (पांइट आफ आर्डर) पर या बा तलब विजाहत इस बोजीह के जो किसी मिमबर ने जाती तोर की हो ।

(जी) अगर उसूली नुकता (पाइट आफ आर्डर) उठाया जाए या अगर चियरमेन बोलने लगे तो बोलने वाला मिमबर नशिस्त पर बैठ जाएगा ।

(एच) जुमला नुकात उसूली (पाइंट आफ आर्डर) का जो दोराने इजलास उठाए जावे फैसला चियरमेन देगा अगर कोई मसला जाबतएकार के मुताल्लिक हो या कोई कानूनी सवाल उठाया जाए तो चियरमेन उसको कानूनी मशवरे के लिए उस शख्स या कमेटी की तरफ रुजू कर देगा जिसका तर्कर्र गर्ज मजकूर के लिए बोंड ने कर दिया हो ।

(आई) कोई बिमबर बहस को खत्म कर देने की इसतिदा कर सकता है और ऐसी इसतिदा पर बोट लिए जाऐंगे ।

(जे) बजूज जबाब अलजवाब के और किसी सूरत में किसी मिमबर को दो मरतबा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

(के) बहस खत्म कराया जाना अगर मंजूर कर लिया तो मोहरिक को जवाब देने का हक हो जाएगा ।

(एल) तरमीय की तहरीक करने वाले को कोई हक जवाब का न होगा ।

(एम) कोई मिमबर दोराने जलसा में जलसे के इलतवा की तहरीक कर सकता है । या दोराने जलसे में किसी वक्त बेहस के इलतवा की तहरीक कर सकता है ऐसी हर तहरीक पर वोट लिए जाऐंगे । अगर जलसे के इलतवा या किसी मामले पर बहस के इलतवा की तहरीक कामयाब हो जाए तो जलसा या बहस मजकूर इसी रोज किसी दूसरे वक्त के लिए या किसी दूसरे दिन के लिए मुलतवी शुदा मुतासव्विर होगी ।

(एन) बोर्ड के जलसे से चियरमेन नज्म कायम रखेगा और मजाज होगा । कि किसी ऐसे मामले को जलसे में पेश करने की इजाजद न दे जि को वह गैर संजीदा, तकलीफ दे या दिल आजा राना तसुब्बर करता हो अगर कोई मिमबर

चियरमेन के हुक्म को न माने तो चियरमेन को इखतियार होगा के मिमबर मजकूर को जलसे से फोरन चले जाने की हिदायत करें। जिस मेम्बर को इसतौर पर जलसे से चले जाने का हुक्म दिया जाये इस पर लाजिम होगा कि फोरन ऐसा करे और इस रोज के बकाया छलसे में मौजूद न रहे इल्ला इस सूरत के चेयरमैंन उसको फिर शिरकत की इजाजत दे दे।

(६) खास जलसे में वह अमूर जेरे गोर लाय जायेगे जिनके लिए जलसा तलब किया गया हो।

जलसे की रूदाद :—८ (१) सेकरेट्री बोर्ड के हर जलसे की रूदाद मिमबराने हाजिर के नामों के साथ एक किताब में जो खास इसी गर्ज के लिए रखी जाए कलम बन्द करेगा। और जलसा एन माबाद में उस पर वह खुद और चेयरमैंन अपने दसतखत करेंगे।

(२) एहतेजाजी या इखितलाफी नोट चेयरमैंन के हवाले से इस जलसे के इखतेताम से कब्ल या बाद कर दिये जाऐंगे जिसमें तजबीज जेरे एतराज पास हुई हो इल्ला इस सूरत के कि चेयरमेंन उसको जलसे के दूसरे रोज पेश करने की इजाजत दे दे।

(३) वह एहतिजाज या इखतिलाफ जिसका नोट बाकायदा हवाला कर दिया गया हो रूदाद में दर्ज कर दिया जायगा।

(४) मेम्बरान ओकाते दफ्तर में रूदाद का मायना कर सकेगे।

तहरीकात और तरमीमात का नोटिस :-९ (१) हर मेम्बर को किसी तहरीक को जलसे के ऐजेन्डे में शामिल कराना चाहता हो उसका नोटिस जलसे के दिन से कम अजकम सातदिन कब्ल दे सकता है। जो नोटिस इसके बाद मोसूल हो वह एन माबाद जलसे के एजेन्डे में शामिल होगा।

(२) तमाम तहरीकात का बोर्ड के इखितियार की ऊमूर से मुतल्लिक होना लाजिम होगा।

(३) मेम्बरान जिन्होंने असल तहरीक का नोटिस दिया हो चियरमेन को मन्जूरी से तहरीक वापिस ले सकते हैं।

(४) हर मेम्बर किसी तहरीक में तरमीम का नोटिस जलसा शुरू होने

से कब्ल किसी वक्त दे सकता है। ओर अगर चेयरमेन इजाजद दे दे तो दोराने जलसा में भी दे सकता है।

(५) किसी तहरीक पर कोई ऐसी तरमीम पेश नही हो सकती जिससे असल तहरीक का मकसद फोत हो जाये।

(६) हर तहरीक का अस्ल तहरीक के माजू से मुताल्लिक होना लाजिम होगा।

(७) हर तहरीक या तरमीम तहरीरी होगी और बाकायदा ताईद शुदा होगी।

(८) किसी तहरीक में तरमीम के काबिल पेशरफ्त होंने या न होंने के मुतल्लिक चियरमेंन का फैसला कतई और मुखततिम होगा।

(९) बियरमेन किसी भी तरमीम को पहले पेश किऐ जाने की इजाजत दे सकता है अगर वह नामन्जूर हो जाए तो दूसरी तरमीम या मिनजुमनला तरमीमात के किसी तरमीम को सामने ला सकता है। यहां तक कि कोई एक तरमीम मन्जूर हो जाये या दाब तरमीमात न मन्जूर हो जाये।

(१०) हर मेम्बर जिसने किसी तहरीक के पेश करने का नोटिस दिया हो किसी दूसरे मेम्बर को उसे पेश करने का इख्तितार दे सकता हैं, अगर ऐसा इख्तियार न दिया गया हो तो मोहरक की अदम मौजूदगी में तहरीक मजकूर जेरे गोर नहीं लाई जायेगी। और अगर मुहरिक जलसामाबाद में भी शरीक न हो और उसने किसी तहरीक पेश करने का इखतियार भी न दिया हो तो तहरीक ऐजेन्डे से खारिज कर दी जायेगी।

तजावीज शुक्रिया वगैरा :- १० तजावीज़ इजहारे तशक्कुर या पैगामाते तहनियतोताजियत ओर इसी नोइयत के दीगर मामलात चियरमेन या उसकी इजाजत से कोई दूसरा मेम्बर बगेर नोटिस के दौरान जलसे में पेश कर सकता है।

सवलात की इत्तिला :- ११ (१) हर मेम्बर मजाज होगा कि इन उमूर से मुताल्लिक सवालात का नोटिस जो बोर्ड के हुदूद इखतैयारात और फराईज में हो जलसे से पूरे सात दिन कब्ल दे।

(२) चियरमेन किसी ऐसे सवालात को रद कर सकता है जिसका ताअल्लुक बोर्ड के इखितियारात, फराइज और कारवाइयों के दाएरा अम्ल से न हो और इस मामले में चियरमेन का हुक्म कती होगा ।

३) चियरमेन या सिकरेट्री को इखतियार होगा कि ऐसे जबानी सवालों का जबाब न दे जो दोराने जलसा मे पेश किये जाऐं इल्ला इस सूरत के कि वह सवालात इस सवाल के जिमनी सवालात हों जिसका नोटिस दे दिया गया था ।

जलसों का इल्तवा :- [१२]बोर्ड का कोई जलसा हाजिर मिमबरान की अकसिरयत की रजामन्दी से वकतन फवकतन उसी दिन किसी दूसरे वक्त के लिए या किसी दूसरे दिन के लिए मुलतवी किया जा सकता है । लेकिन ऐसे जलसे माबाद में मुलतवी शुदा जलसे की कारवाई के अलावा कोई दूसरा नाम अन्जाम नही दिया जायेगा अगर कोई जलसा उसी रोज किसी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी कर दिया जाये या योमन फयोमन जारी रहे तो इसके लिए किसी नोटिस का दिया जाना जरूरी न होगा बसूरते दीगर इनएकादे ए जलसा का नोटिस दिया जाना लाजमीं होगा ।

फैसल शुदा मसाइल की नजर सानी :-[१३] बोर्ड का कोई फैसला मंन्सूख या उसमें कोई तरमीम या रद्दोबदल नहीं होगा इल्ला ऐसे रीलेशन के तहत जिसको दो तिहाई मिमबराने बोर्ड की ताइद हासिल हो और जिसे किसी जलसे में कसरते राय से मंन्जूर कर लिया गया हो बशर्ते ये कि उसका नोटिस जुमला मिमबराने बोर्ड को दे दिया गया हो ।

सिकरेट्री का तजावीज पर अमलदर आमद कराना :-

[१४] सेकरेट्री को लाजिम होगा के उन तमाम तजावीज पर जो बोर्ड ने मन्जूर की हों और उन तमाम फैसलों पर जो बोर्ड ने किये हों अम्लदर आमद कराये ।

जाति दिलचस्पी रखने वाले मिमबरान का वोट न देना :-[१५] जाइज न होगा के कोई मिमबर बोर्ड के जलसे में किसी ऐसे मामले के मुताल्लिक बहस में हिस्सा ले या राय दे जिससे उसको जाती दिलचस्पी हो मगर शर्त ये है के बोर्ड को या चियरमेन को इखतियार होगा के मेमबर मजकूर को किसी मुबाहिसे की नोबत पर जरूरी विजाहत के लिए तलब करले ।

सिकरेट्री का जलसे में मौजूद होना :–[१६] बोर्ड का सिकरेट्री बोर्ड के हर जलसे में मौजुद रहेगा और सदूर जलसे की इजाजद से किसी मौजू पर जेरे बहस की बजाहत कर सकेगा या उसकी बाबत ब्यान दे सकेगा मगर उसे राय देने का इखतियार न होगा।

लोगोंको जलसा बोर्ड में शामिल करने का इखतिवार :–

[१७] बोर्ड अपने साथ ऐसे लोगों को शरीक कर सकता है जिनका तअवन या मशवरा वह एक्ट के किसी हुक्म पर अम्लदर आदम के लिए चाहता हो ऐसे लोग मुताल्लिका उमूर पर मुवाहिसे में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते ।

बजट पैश करना :–[१८] लाजिम होगा कि बोर्ड का बजट हर साल माह जनवरी में बोर्ड के सामने पेश कर दिया जाए और हर साल १० फरवरी से कब्ल पास कर दिया जाए ।

मसारफीन जिनकी मन्जूरी न हो :- [१६] बोर्ड कोई सरफा खारिज अजबजट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक जलसा खास में जो इसी मकसद के लिए तलब किया गया हो उन मिमबराम की दो तिहाई अकसी- रियत ने उसे मन्जूर न कर लिया हो जिन्होंने जलसे में शिरकत की हो और राय दी हो ।

बोर्ड की कमेटियां उनके फराइज मनसबी और तरीके कार :-

[२०] १) बोर्ड मजाज होगा कि इस बारे में एक रेगूलेशन के जरिये इस तादाद मिमबरान पर मुशतमिल जो वह मुनासिब समझें इन अगराज के लिए और ऐसे फराइज और इखतियारात की हामिल और ऐसे रकबे या रकबात के वास्ते जो वह सोंजू तसब्वुर करे एक कमेटी कायम करे और इसको यह भी इखतियार होगा कि किसी वक्त कमेटी मजकूर के वुजुद को खत्म करदे या इसकी वजे तशकील को तबदील करदे या किसी कमेटी की तजबीज या सिफारिश को न मन्जुर करदे ।

२) ए] बोर्ड को इखतियार होगा के एक्ट कवाइद और इन

जवाबित के यह काम के ताबे एक जेरोलिवेशन के जरिए कमेटी हाए मजकूर दायरा ए अम्ल की सराहद करदे और इनके जलसों की कारवाइयों का तरीके कारमुता अध्ययन करदे ।

बी) हर कमेटी को जिसका कि कोई एक्स आफिश यू चियरमेन हो या जिसके लिए बोर्ड ने चियरमेन मुकर्रर किया हो लाजिम होगा के चियरमेन मजकूर जलसे में शिरकत से मजबूर हो या किसी वजा से जलसे में न आ सके तो इस जलसे के लिए अपने मिमबरान में से किसी को चियरमेन मुकर्रर करदे ।

३] कोई फर्दें वाहिद एक से ज्यादा कमेटियों का मिमबर हो सकता है

४] अगर बोर्ड का चियरमेन किसी कमेटी का मिमबर हो तो वह कमेटी मजकूर का एक्सआफीश्यू चियरमेन होगा ।

मुसतकिल कमेटियां :—२१) इन कमेटियों के अलावा जिनकी एक्ट की किसी हुक्म के तहत तशकील की गई हो हस्ब जेल कमेटियों का वुजूद लाजिम होगा ।

१) फनांन्स कमेटी २) रजिस्ट्रेशन कमेटी ३) मशावरती कमेटी ।

कमेटी के जलसे और जलसों का निसाब (कोरम) :—

२२) १] बिल्उमूम तमाम मुताज ककेरा सद्र कमेटियां महीने में कम अजकम एक जलसा करेगी या एक से ज्यादा जितने जरूरी हो ।

२] अगर मिमबरान कमेटी की तादाद सात से ज्यादा न हो तो कोरम तीन मिमबरों पर मुशतमिल होगा तमाम दूसरी सूरतों में कमेटी के निस्फ अरकान का कोरम होगा ।

कमेटी का सिकरेट्री :-२३) बोर्ड का सिकरेट्री तमाम के कमेटियों सिकरेट्री के तोर पर काम करेगा । सिवाय इस सूरत के कि बोर्ड इस कमेटी के किसी मिमबर को या बोर्ड या कमेटी के किसी मुलाजिम को कमेटी का सिकरेट्री मुकर्रर करदे ।

जलसे तलब करना :-२४) कमेटी का सिकरेट्री एजेन्डा तैयार करेगा और कमेटी के चियरमेन की मन्जूरी से जलसा तलब करेगा।

इनेकाद जलसे का नोटिस :-२५) मिमबरान कमेटी को मामूली जलसों के लिए कम अजकम सात दित का और किसी हंगामी जलसे के लिए तीन दिन का नोटिस देना लाजमी होगा।

रूदाद की किताब :-२६) हर कमेटी अपने जलसे की रूदाद कलम बन्द करने के लिए एक किताब रखेगी, रूदाद पर चियरमेन और सिकरेट्री के दस्तखत होंगे और रूदाद मजकूर कमेटी के एनमाबाद जलसे में पड़हे जाने और तोसीक किये जाने की मोहताज होगी। और हर इखतिलाफ की याददास्त को भी रूदाद में दर्ज किया जायगा।

रूदाद कमेटी बोर्ड में इरसाल करना :- २७) कमेटी के रूदाद की एक सही नकल बोर्ड के एनमा बाद होंने वाले इजलास में मन्जूरी या इत्तिला के लिए यानी जैसी की सूरत हो इरसाल की जायेगी।

कमेटी के किसी मिमबर काअलेहदा किया जाना :-२८) अगर कमेटी का कोई मिमबर बगैर किसी एसी काफी बजा के जो बोर्ड ई केलिए तसल्ली बखश हो मुसलसल तीन जलसों में गैर हाजिर रहे तो वह इस कमेटी का मिमबर नरहेगा। और बोर्ड इस खाली जगह पर किसी दूसरे शख्स को मुकरर करेगा।

मिमबरों को मुनतखिब करने का तरीका :- २९) १] कमेटी के मिमबरान के इनतिखाब के सिलसिले में पर्चा नामजदगी के अन्दर मिमबर मौजूदा का पूरानाम व पता लिखा जायगा और पर्चा मजकूर पर दो मिमबरों के दस्तखत बतोर मुजव्बिजवमुअईयद भी सब्त होंगे। किसी मिमबर को इस तादाद से जाइद उम्मीदवारों की नामजदगी करने या नाम जदगी की ताइद करने की इजाजत न होगी जिस तादाद में मिमबरान जेरे इनतिखाब हों।

२] कोई नामजदगी जाइज न होगी जब तक मुजव्विज उम्मीद वार ने अन्जाम दिही फराइज मिमबरी के लिए तहरीरी तौर पर आमादगी का इजहार न कर दिया हो।

३) चियरमेन एहलियत इनतिखाब रखने वाले उम्मीदवारों की एक फहरिस्त तैयार करेगा और इन नामों को तजवीज कुनिन्दा और ताईद कुनन्दा के नामों के साथ पढ़कर सुनाएगा फिर फार्म नं० १ पर एक एक परचाए इनतेखाब अपने दस्तखत करके जलसे में हर हाजिर मिमबर को देगा जो सिर्फ इस तादाद में उम्मीदवारों के नामों के मुकाबिल चोपारा का निशान बना देगा जिस तादाद में मिमबरान जेर इनतिखाब हों ।

४) इसके बाद हर मिमबर पर चाए इनतेखाब मजकूर को बन्द लिफाफे में या किसी दूसरे ऐसे तरीके पर के उसका वोटिंगराज में रहे चियरमेंन को वापिस कर देगा चियरमेंन फोरन परचाहाय इनतेखाब को खोलेगा । इनको शुमार करेगा एक गोशवारा में उनकी तादाद तहरीर करेगा और जिस मिमबर को ज्यादा तादाद में वोट मिले हों इसके बाकायदा मुनतखिब शुदा होने का एलान कर देगा वोट बराबर होंने की सूरत में मिमबर के इनतिखाब का फैसला चियरमेंन कुरआअन्दाजी के जरिये करेगा ।

५) वह परचाए इनतिखाब नाकारा होगा जिस पर चियरमेंन के दसतखत न हों या जिस पर चौपारे का निशान इस तरह बनाया गया हो कि जिससे कती तोर पर यह वाजे न होता हो कि दो या ज्यादा उम्मीदवारों में से किसी को वोट देना मकसूद है या जिस पर कोई निशान ही न बनाया गया हो ।

फनान्स कमेटी —३० फनान्स कमेटी के इखतियारात और फराइज हस्ब जेल होंगे —

१) बोर्ड का बजट तरतीब देना ।

२) उन रजिस्टर्ड ओकाफ का बजट तैयार करना जिनके मुतावली बरवक्त बजट पेश करने में कासिर रहें हो । और उसको बोर्ड की मन्जूरी के लिए पेश करना ।

३) रजिस्टर्ड औकाफ के बजट की जांच पड़ताल करना और और अपनी जाँच की रिपोर्ट बोर्ड में पेश करना ।

४) उन रजिस्टर्ड औकाफ का बजट मन्जूर करना जिनकी सालाना आमदनी वह हो जो वकतन फवकतन बोर्ड अपने रेजुलेशन के जरिये मुताअय्यत करे ।

५) रजिस्टर्ड औकाफ के मुतावल्लियों से जरूरत बजट रिपोरटें और आमदो खर्चा के तखताजात तलब करना।

६) बोर्ड के माहवार हिसाबात को जांचना और उसकी रपोर्ट बोर्ड को देना।

७) रजिस्टर्ड औकाफ के बजट मैं हस्बजरूरत ऐसा रद्दो बदल और कमीवेशी खुद करना ओर अगर बजट का पास करना कमेटी के हेतए इखतियार में न हो तो ऐसा रद्दो बदल और ऐसी कमो वेशी तजवीज करमा जो एक्ट के एहकाम या उन मकासिद की मनाफीन हो जिसके लिए वकफ मुताल्लिका बुजूद में लाया गया था।

८) मालियात से मुताल्लिक तजावीज को जांचना परखनां और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को पेश करना।

९) अगर मसारिफ की कोई कलम बोर्ड के बजट में बिल तखसीस न रखी गई हो लेकिन मुनासिब आमदो खर्चा मन्जूर शुदा की बचत से मुसारिफ मसकूर किये जा सकते हो तो गैर इसतमरारी मसारिफ की सूरत में २५०) की हद तक ओर इसतमरारी मसारिफ की सूरत में ५० रुपए की हद तक फनान्स कमेटी मन्जूर कर सकती है और मसारिफ गैर इसतमारारी २५०) से जाइद या इसतमरारी ५० रुपये से जाइद हो तो उनको कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड मन्जूर कर सकता है।

१०) किसी वकफिया जायदाद को दूसरी किस्म या नोइयत की जायदाद में तबदील करने की इस सूरत में बोर्ड के सामने सिफारिस करना जब कमेटी को इतमिनान हो जाय कि ऐसी तबदीली मुताल्लिका वक्त के लिए मुफीद है मगर शर्त है कि तबदीली मजकूर किसी ऐसे वकफ नामे के (अगर कोई हो) मनाफी न हो जो जायदाद जेरे वहस के मुताल्लिक मौजूद हो।

११) किसी रजिस्टर्ड वकफ के मुतावल्लियों से रिपोर्ट तखता आमदो खर्चा और बजट या दूसरी दस्तावेजात तलब करना।

१२) इस गर्ज से के अगर इकतिजाय हालात हो तो बोर्ड के सामने जरूरी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश की जा सके मजाज होगी कि जब मुनासिब

समझें किसी रजिस्टर्ड वकफ के एहतमामो इन्सराम की बाबत तहकीकात अमल में लाए ।

१३) रजिस्टर्ड औकाफ के कामों पर नजर और कन्ट्रोल रखना ।

१४) आमदो खर्च के मामले में तमाम बेजाबतिगियों की गिरफ्त और उनकी जांच करना और उनकी बाबत हुक्मे आखिर के लिये बोर्ड में रिपोर्ट पेश करना ।

१५) इस दायरे के अन्दर जो बोर्ड ने अपने किसी रेजूलेशन के जरिये से मुताअय्यन कर दिया हो रकूम की एक मद खर्च से दूसरी मद खर्च में मुनतकली तजबीज करना ।

१६) अगर जरूरी हो तो माली साल के दौरान में फन्ड के नजर सानी शुदा बजट तखमीने मुरतत्व करना और उनको बोर्ड की मन्जूरी के लिए पेश करना ।

१७) अगर दौराने शाल में मुतावल्ली बजट पर नजर सानी की दरखास्त करे तो अपने हुद्दे ईखितियार के अन्दर ऐसी कार्रवाई करना जो कमेटी जरूरी समझे ।

१८) बोर्ड के लिए जदीद आसामियों के कायम या मौजूदा आसामियों के मैयारे मुशायरा में तबदीली की जुमला तजाबीज पर गौर करना और अपनी सिफारिशात बोर्ड मे इरसाल करना ।

१९) ताबे इन इखितयारात के जो बोर्ड के सिकरेट्री या किसी अफसर को तफवीज किए गए हो रजिस्टर्टड औकाफ के हिशाबात की बाबत आडीटरों की रिपोंटों पर गोरोखोस करना और उन पाबन्दियों के ताबे जो बोर्ड आइद करे उन पर जरूरी एहकाम देना मगर शर्त यह है के कमेटी आडीटरान मुतालिका से दोराने साल में औकाफ की कारगुजारियों के मुताल्लिक उनके उन आम ताससुरात की बाबस रिपोर्ट में हासिल करेगी जो मालयाती नज्म की हद तक यह दूद न हो बल्कि जुमला इन्तेजामात पर हावी हों और उनको अपने तबसिरे के साथ बोर्ड में इरसाल कर देगी ।

२०) फन्ड के हिसाब की बाबत आडीटरों को रिपोर्ट पर गौर करना और

अपने तब सिरे के साथ उसको बोंड में पेश करना ।

२१) रजिस्टर्ड औकाफ की रकम के तसरूफ के बारे में आडीटरस की की रिर्पोट पर गौर करना ।

२२) वकफिया जायदादो की कीमत तमाम जाइज जराये से बढ़ाने की तजवीजों पर गौर करना और बोंड की मन्जूरी के बाद ऐसी तजावीज पर अम्ल दर आमद करना और कार करदगी की बोडं को रिर्पोट करते रहन ा

२३) मन्जूर शुदा बजट के ताबे तमाम वकफिया जायदादों के बारे में या वकफ बोंड से मुताल्लिक किसी मामले में अदालत में मुकदमात या नालिशात दायर करने या उनके मुकाबले में जवाबदेही करने के लिए मसारिफ की मन्जूरी देना ।

२४) वकफिया जायदोदों के मुताल्लिक से देखना के आया औकाफ मुता–ल्लिका के बहतरीन मफाद में इस्तेमाल हो रही है या नहीं और बोंड को उसकी रिर्पोट देना ।

२५) ऐसे मामलात पर गौर करना जो बोड या कोई दूसरी कमेटी उसके सुपरूद करे ।

रजिस्ट्रेशन कमेटी :– ३१) रजिस्ट्रेशन कमेटी के इखतियारात फराइज हस्बजेल होंगे ।

१) उन इखतियारात के ताबे जो सिकरेट्री को तफवीज किये गये हों किसी वकफिया जायदाद कों रजिस्ट्री का हुकम देना और अगर जरूरत हो तो इस जेल में तहकीकात करना ।

२) रियासत के अन्दर जुमला वकफिया जायदादों के आजिलाना रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी इकदामात करना ।

३) औकाफ के रजिस्ट्रेशन से मुताल्कि जुमला उमूर पर गौर करना और उन पर एहकाम सादिर करना ।

४) वकफिया जायदादों की सुरागरसी के लिए इकदामात करना और अजदस्त रफता जायदादों की बाजयाबी के लिए जराये तजवीज करना ।

५)में बोर्ड की मन्जूरी मा कब्ल से बकफिया जायदाद पर कबजा नाजाइज के मुकाबले नें या उसकी आमदनी जरबदल या पैदावार के तसर्रूफे बेजा के मुकाबले में इकदामात करना।

६) रियासते मध्य प्रदेश में बाके जुमला किस्म के औकाफ का एक रजिस्टर मरत्तब करना और उसका मुकम्मल रखना जिसमें उनकी इबतिदारसअत नोइयत, आमदनी, अगराज और उनके मौकूफ अलीहिम की तफसील दर्ज हो।

७) एक ऐसा रजिस्टर तैयार करना और मुकम्मल रखना जिसमें जुमला औकाफ की असनाद की नकल हो।

८) मुतावल्ली से किसी किस्स की रिपोर्ट तखता आमदनी या सर्फ या दूसरी दसतावेजात तलब करना।

मशावरती केमेटी :—३२ मशावरती कमेटी के फराइजों इखतियारात हस्ब जेल होंगे।

१) किसी ऐसे मामले में राय व मशवरा देना जों उस गर्ज के लिए उसकी तरफ रूजू किया जाय।

२) किसी ऐसे मामले की तहकीकात करना जो उसकी तरफ रूजू किया जाय और बोर्ड में फैसले के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करना।

३) बोर्ड की जरूरत से कोई स्कीम या मन्सूबा तैयार करना।

४) कोई रिपोर्ट तखता आमदनी, सर्फ और दूसरी दस्तावेजात मुतावल्ली या किसी दूसरे शख्स से तलब करना जिसके कबजे में ऐसी दस्तावेजात या इत्तिलाआत हो।

चियरमैन और मिमबरान को काबिले अदा मवाजिब और फीस :-३३ हस्ब मन्जूरी बजट चियरमेन और दूसरे मिमबरान बोर्ड के जलसे में शिरकत की व बत या बोर्ड की मुकर्रर करता किसी कमेटी में शिरकत की बाबत कोई ऐसी खिदमात अन्जाम देने की गर्ज से जो बोर्ड ने उनकी तफवीज की हो हस्बेजेल मवाजिब पाने के मुसतहिक होंगे।

१ भत्ता सफर :–

१) जब सफर रेल गाड़ी से किया जाय, पहले दरजे का किराया।

२) जब सफर पब्लिक बस सर्विस से किया जाए, सबसे ऊंचे दरजे का एक किराया।

३) जब कोई मिमबर खुद अपनी मोटरकार से सफर करे, ५० पैसे फी मील जिसकी मजमूई रकम आइटम नम्बर १ या २ की इनतहाई रकम में से जो भी कम हो उससे ज्यादा नहीं होगी लेकिन शर्त ये है कि जिस दर्जा में बाकी सफर किया गया हो अगर वह पहले व सबसे ऊंचे दरजे से कम हो तो किराया काबिले अदा उसी दरजे का होगा, जिसमें बाकी सफर किया गया है।

२ योमया भत्ता :–

ए) मकामात अन्दरूने मध्य प्रदेश की बाबब (दस) १० रुपये हर काल के दिन के।

बी) मध्य प्रदेश के बाहर किसी दूसरे मकाम की बाबत (पन्द्रह) १५ रुपये योमया! लेकिन अगर किसी मिमबर को रेल या पब्लिक मोटर सर्विस से या किसी और सवारी से बिना किराया सफर करने की मराआत हासिल हो तो वह मसारिफ लाहेका की बाबत १५ रुपये योमया पाने का मुस्तहिक होगा।

३ कारे खुसूसी की फीस :-

बोर्ड मजाज होगा कि चियरमैन को बोर्ड या कमेटी के किसी मिमबर को किसी कार खुसूसी की अन्जाम देही के लिये मामूर करे और नोइयतेकार के लिहाज से फीस का तअय्युन करदे। और ऐसे मसारिफ करने की भी इजाजत देदे जो कार या फर्ज मजकूर की अन्जाम देही के लिये जरूरी हो।

४ बोर्ड का अमला :–

३४–बोर्ड को मजाज होगा कि वकतन फवकतन उस तादाद में अफसरान और मुलाजमान मातहत सिकरेट्री का तर्करूर करे जिस तादाद में अगराज एक्ट की बखुशअसलूबी बजा आवरी के लिए वह जरूरी तसव्वुर करे।

ग्रेड, मैयार, मुशायरा वगैरा :–

३५–मन्जूरशुदा बजट के ताबे बोर्ड वकतन फवकतन हस्बजेल उमूर का तअय्युन कर लेगा। अफसरान और मुलाजमान बोर्ड की—

१) तादाद

२) उनके ओहदों का नाम

३) उनका ग्रेड

४) उनका मैयारे मुशायरा

५) उनके मवाजिब

६) और वह रकम चन्दा जो मुलाजमान और ओहदेदारान बोर्ड प्रोवीडेन्ट फन्ड में अदा करने के पाबन्द होंगे।

एहलियत :–३६ (१) कोई शख्स बोर्ड के तहत किसी ऐसे आसामी पर मुकर्रर किये जाने का एहल न होगा जिसकी इबतिदाई तनखा का मैयार।

ए) १५० रुपये माहवार या ज्यादा हो जबतक वह ग्रेज्यूएट न हो और इंतिजामी तजरुबा न रखता हो टेकनीकल ओहदे के लिए काबलियत मसावी टेकनीकल काबलियत होगी।

बी) ६० रुपये माहवार या ज्यादा हो जबतक उसने इन्टरमीडिएट या हायर सेकन्ड्री या उनके मसावी कोई दूसरा इमतहान पास न कर लिया हो।

२] बोर्ड के दफतर में किसी शख्स का आडीटर या सद्र महासिब के ओहदे पर तकर्रुर न किया जायगा। जबतक वह महासबी का ऐसा इमतहान पास न कर चुका हो जो किसी यूनिवरसिटी की ग्रेज्यूएट डिगरी के मसावी हो मगर शर्त यह है कि चियरमेन या सिकरेट्री को इखतियार होगा कि छे माह के लिए तकर्रुर करने में किसी शखस को मुन्दर्जा बाला एहलियत की शराइत से मुसतसना करदे और बोर्ड को इखतियार होगा के किसी शख्स की कोई खास आसामी के लिए मखसूस मोजूनियत की मलहूज रखते हुए उसको मुसतकलन मुसतसना करदे।

ओहदेदार मजाज तकर्रुर तादीब :-

३७–१] मुन्दर्जा जेल ओहदेदारान को बोर्ड के तहत आसामियों पर तकर्रुर का इखतियार हासिल होगा।

१–सिकरेट्री –: तमाम जगहें जिनका इबतिदाई मशाहेरा ६० रुपये माहवार हो।

२–सिकरेट्री व मन्जूरी चियरमेन :-तमाम आसामियां जिनका इबतिदाई मशाहेरा १०० रुपये माहवार हो।

३–बोर्ड :– तमाम दीगर आसामियाँ।

२–तमाम तकर्रुरात इस तरीके के मुताबिक किये जाऐगे जो बोर्ड ने जरिये रेजूलेशन करदिया हो।

३–ओहदेदार मजाज तकर्रुरही ओहदेदार मजाज तादीब होगा और बोर्ड ओहदेदार मजाज समाअत अपील।

४–बोर्ड के मुकर्रर किये हुए और चियरमेन की मन्जूरी से तकर्रुर किये हुए मुलाजमान के एहकाम ताईनाती और तबादला चियरमेन जारी कर लेगा बकिया मुलाजमान के सिकरेट्री।

इमतहानन तकर्रुर :–३८–हर आसामी पर तर्करुर एक साल के लिए आजमाइशन या इमतहानन होगा इस मुद्दत में ओहदेदार मजाज तर्करुर अपने सबाबदीद पर तोसी कर सकेगा।

उम्मीदवार जिसने आजमाइशो मुद्द मुलाजमत कामयाबी से पूरी करली हो उसको जल्द से जल्द मुसतकिल कर दिया जायगा।

इमतेहानी मुदद का खातमा :–३९–ओहदेदार मजाज तर्करुर को इखतियार होगा कि इमतहानी या मशरूत मुददत के इनकिजा से कब्ल नदुजू के बिना पर जो कलमबन्द की जायगी किसी शख्स के तर्करुर इमतेहानी का खातमा करके उसको बोर्ड के तहत उसके मुसतकिल ओहदे पर वापिस करदे या अगर उसका तकर्रुर बराहे रास्त ओहदे पर हुआ हो तो बोर्ड की मुलाजमत से सुबुकदोश करदे।

तकर्रुर के मामले मे ना काबलियत :-

४०– वह शख्स बोर्ड के तहत मुलाजमत का अहल न होगा जो किसी ऐसे जुर्म में सजायाब हो चुका हो जिसमें अखलाकी गिरावट पाई जाए या किसी सर-सरकारी मुलाजमत से मौकूफ किया गया हो जिसको सहत जिसमानी

के लिहाज से निब्बी तौर पर नाकाबिल करार दे दिया गया हो।

जमानत :—४१–बोर्ड अपने किसी मुलाजिम से ऐसी जमानत रलब कर सकता है जो वह जरूरी समझे लेकिन ऐसी जमागत की रकम उस जरे नक्द की रकम से ज्यादा नहीं होगी जो मुलाजिम मजकूर के दसतरस में होगी।

२) जमानत दाखिल करने के मामले में इस कायदे पर मुनासिब तगय्युरों तबद्दुल के साथ अम्लदर आमद होगा जो उस बारे में "स्टेट जनरल फनानाशल रुल्स" में महूकूम है और इस गर्ज के लिए जहां अल्फाज "स्टेट गर्वमेन्ट" या हेड आफ डिपार्टमेन्ट" आये हैं वहां उनसे मुराद बोर्ड होगा और जहां गर्वमेन्ट सर्वेंट" आए हैं वहां उनसे बोर्ड का मुलाजिम मुराद होगा।

सर्विसबुक :-४२ १) बोर्ड के रेजूलेशन के जरिये मुताय्यन किये हुये कार्य पर बोर्ड के हर मुलाजिम की एक सर्विस बुक रखी जायेगी। इस सर्विस बुक में सिर्फ मुलाजमत का रिकार्ड होगा और उसमें मुलजिम की कार गुजारी या आमाल की वावत कोई तबसिरा नही होगा।

२) सिकरेट्री सर्विस बुक को सही और मुकम्मल रखने का जिम्मेनार होगा और हर साल के खत्म पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सर्विस बुक में जांच का सालाना सर्टीफिकेट सब्त करेगा।

केरेक्टररूल्स :—४३) सर्विस बुक के अलावा सिकरेट्री करेक्टर रूल्स भी मुरत्तब रखेगा। केरेक्टर रुल्स ऐसे फार्म पर मुरत्तब किया जायगा जो बोर्ड मुताअय्यन करे और उसमें तम्बीह जाबता सजा हुसेन कारगुजारी और मलाजिम की गदआकाली के मुताल्लिक नोट अगर कोई हों दर्ज होंगे और उनऊी इतला उसको दी जायेगी उसके मुताल्लिक सीगाराज के रिकार्ड की तौर पर अमल किया जायगा उसमें मुलाजिम मुताल्लिका की कारगुजारी के मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट होगी हर साल माह दिसम्बर में सिकरेट्री अपने मातहत हर मलाजिम की साल गूजिशता की कारगुजारी के बाबत अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा ये रिपोर्ट चियरमेन को पेश होगी जो अपना तबसिरा मय दस्तखत और तारीख के दर्ज करेगा जुमला मलजमींत की बाबत रिपोर्ट चियरमेत के तबसिरे के साथ हिफाजत के सिकरेट्री की तहवील में रहेगी।

तरक्कियात :—४४ (१) ऐसे ओहदों पर तरक्की जिनका इब्तिदाई मशाहरा १५० रुपये या जाइद बमलहूजी सीनियारटी। एहलियत की बुनियाद होगी और दीगर ओहदों पर बमलहूजी एहलियत सीनियारटी की बुनियाद पर होगी।

२) अगर वह मुलाजिम जिसको किसी बुलन्दतर ओहदे पर इमतहानन या बतोरे कायम मकाम तरक्की देदी गई हो ओहदा मजकूर का अहल साबित न हो तो उस को अपने असली ओहदे पर वापिस करदेने में कोई अमरमाने न होगा।

३) टाइमस्केल में जो "एफीशीएन्सीबार" हों उनपर सखती से अम्लदर आमद किया जायगा और किसी शख्स को ऐसे 'बार" (रुकावट) को उबूर करने की उस वक्त तक इजाजत नहीं दी जायेगी जबतक सिकरेट्री को ये इतमिनान न हो जाये कि उसने अपनी कारगुजारी को वाजमी मैयार तक पहुंचा दिया है।

४) मशाहेरा में सालाना या मौकिफ इजाफा जात बतौरे मामुल के नहीं दिये जाऐंगे और आमतौर पर उस मुलाजिम को जिसकी दोराने साल कारगुजारी मुताल्लिक खराब रिपोर्ट हो उस वक्त तक इजाफा नहीं दिया जायगा जब तक वह अपनी कारगुजारी के मुताल्लिक अच्छी रिपोर्ट हासिल न करले।

सीनियारटी :—४५ एक ही ग्रेड में मुताअय्यन मुलाजमान की बाहम दिगर सीनियारटी का फैसला उस तारीख के लिहाज से किया जायगा जब से वह ग्रेड मजकूर में मुसलसल ताईनात है। मुलाजमान जिनको एक ही तारीख में तरक्की दी गई है उनकी सीनियारटी के वह मरातिब बदसतूर कायम रहेंगे जो उस अदना ग्रेड में थे जिससे उनको तरक्की दी गई थी उन मूलाजमान की सीनियारटी का फैसला जो एक ही वक्त में बाहर से लिए गये हों उन मरातिब फोकियत या तरजी की बुनियाद पर होगा जिसका इजहार तर्करूर जेरे बहस के लिए इनतिखाब के वक्त किया गया था।

आसामियों का शकिस्त किया जाना :—

४६ १) आसामियों की शकिस्तगी या किसी ओहदे के मशाहेरा में कमी का कोई हुक्म मुस्तकिल मुलाजिम की सूरत में मुलाजिम मुताल्लिका को नोटिस दिये जाने की तारीख से तीन माह गुजरने से पहले और दूसरी सूरतों में नोटिसे

मुअत्तिली :-५० (१) अफसर मजाज तर्करूर या कोई दूसरा ओहदा–दार जिसको बोर्ड ने उस जमन में मजाज किया हो सूरत हाय मुन्दर्जा जेल में बोर्ड के किसी मुलाजिम को मुअत्तिल कर सकता है।

ए) जबके उसके खिलाफ तादेवी कार्यवाही जेरे गोर या जेरेकार हो।

बी) जब के उसके खिलाफ कोई मूकदमा व इलजाम जूर्म फोजदारी जेरे तफतीश या जेरे समाअत हो।

२) बोर्ड का मुलाजिम ४८ घन्टे पर बिना किसी इलजाम फोजदारी या किसी दूसरी इल्लत में हिरासत में चला जाए तो उसके मुताल्लिक समझा जाएगा के वह तारीख हिरासत से अफसर मजाज तर्करूर के हुक्म से मुअत्तिल कर दिया गया है। और ता हुक्मे सानी मुअत्तिल रहेगा।

३) दौराने मूअत्तिली में मुलाजिम उस तनखा के ओसत माहाना का निस्फ बतौर गुजारा पाने का मुस्तहिक होगा जो उसको उस महिने से एन मा कब्ल बारह महीने के बाबत मिली हो जिसमें वह मुअत्तिल किया गया था।

सजायें :-५१ बपाबन्दी एहकाम जवाबित हाजा किसी मुलाजिम बोर्ड को काफी और माकूल वुजू की बिना पर और हस्बे एहकाम मा बाद मुन्दर्जा जेल सजायें दी जा सकती हैं।

१) तम्बीहजाबता।

२) जुरमाना।

३) इजाफाजात या तरक्की की मसदूदी।

४) एहकाम के खिलाफ वरजी या गफलत बकारमन्सबी की वजा से बोर्ड को जो माली नुकसान पहुंचाता हो उसके कुल या जुज्व का मशाहेरा से वजा किया जाना।

५) कमतर ग्रेड या ओहदे पर या कमतर मैयार मशाहेरा बल्कि मैयारे मशाहेरा के कमतर दरजे पर तनज्जुल।

ताँमील होने से एक माह गुजरने से पहले निफाज पजीर नहीं होगा।

२) किसी मुलाजिम के रूखसत पर होने की सूरत में हुक्म मजकूर रूखसत खत्म होने से पहले निफाज पजोर नही होगा लेकिन मियादे नोटिस और रूखसत की मुद्दत साथ साथ चलेगी।

इस्तीफा :– ४७ बोर्ड के किसी अफसर या मुलाजिम के लिए ता वक्त ये के वह शराँइत महाएदेकी रू से उसका मजाज न हो जाइज न होगा कि सिकरेट्री को अपने इरादे का कमअजकम तीन योम कब्ल तहरीरी नोटिस दिये बगेर अपने ओहदे से मुस्तफी या अपनी खिदमात से सुबुकदोश होजाए लेकिन शर्त यह है के कोई इस्तीफा इस दौरान में मन्जूर नहीं किया जायगा जब बोर्ड के किसी मूलाजिम के आमाल जेरे तहकीकात हों और न उस वक्त तक मन्जूर किया जायगा जबतक उसकी जेली जूमला मतालबात का तसफिया न हो जाए।

फराइज मनसबी से गफलत या गेर हाजरी :–

४८ बोर्ड का कोई अफसर या मूलाजिम :—

१) अपनी डियूटी से गेर हाजिर या दस्तकश न होगा बजज उसके के उसे बाकायदा रूखसत अता करदी गई हो ओर वह बाद में मन्सूख भी न की गई हो।

२) फराइज मफूजा की वजा आवरी में गफलत से उनसे न इनकार कर लेगा और न दीदा दानिस्ता उनकी बखूश असलूबी बजाआवरी में कोताही करेगा।

मुलाजमत से सुबकदोशी का नोटिस :-

४६ अगर बोर्ड का कोई अफसर या मूलाजिम :–

१) किसी तहरीरी माहायदे के तहत रखा गया हो तो वह शराइत महाएदे के मताबिक नोटिस या नोटिस के एवज मशाहेरा पाने का मुसतहिक होगा

२) तहरीरी महाएदे के तहत न रखा गया हो तो मुलाजमात से सुबुकदोशी करने के लिए वह एक माह के नोटिस का मूसतहिक होगा या नोटिस के एवज एक माह का मशोहरा पाने का।

का कोई हुक्म सिवाय ऐसे हुक्म के जो उस रुदाद पर मबनी हो (जो किसी अदालत फौजदारी से उसकी सजायाबी का मोजिब हुई हो) जारी किया जाए।

किसी मुलाजिम बोर्ड के खिलाफ उस वक्त तक सादिर न किया जाए जब तक उसको तहरीरी तौर पर उन मोजिबात से मुत्तिला न कर दिया गया हो जिनकी बुनियाद पर उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जेरेकार लाई गई हो और जब तक उसको अपनी सफाई पेश करने का "काफी" मौका न दिया गया हो । उन मोजिबात को जिनकी बिना पर मुलाजिम मजकूर के खिलाफ कार्रवाई जेरेकार लाई गई है एक फर्द इलजाम की सूरत में मुरत्तिब किया जायगा और फर्द मजकूर मय एक ऐसे "बयान" के शख्स मुलजिम के हवाले करदी जायगी जिनमें उन इत्तेहामात की तफसील हो जिस पर हर इलजाम मुबनी है और दीगर वह हालात मुन्दर्जा हों जिनको मामला जेरे बहस में एहकाम सादिर करते वक्त पेशे नजर रखा जाना तजवीज किया गया है ।

उसको पाबन्द किया जायगा कि एक माकूल मुददत के अन्दर अपनी जवाबदेही के बारे में बयानतहरीरी पेश करदे और ये जाहिर करदे के आया वह बिल मुशाफा समाअत का मौका चाहता है अगर वह ऐसी ख्वाहिश जाहिर करे या हाकिम मुताल्लिका ऐसी हिदायत करे तो तहकीकात अम्ल में लाया जाना लाजिम होगा तहकीकात मजकूर के दौरान सिर्फ उन इत्तिहामात की जबानी शहादत समाअत होगी और कलम बन्द की जाएगी जिनको तसलीम नहीं किया गया है और शख्स मुलजिम को हक होगा कि गवाहाने सबूत पर जिराह करे खुद बतोरे गवाह शहादत दे और जिन गवाहों को चाहे तलब कराए मगर शर्त यह है कि उन मखसूस और काफी वुजू की बिना पर जो कलम बन्द की जायगीं अफसर तहकीकात कुनन्दा को इखतियार होगा कि किसीं गवाह को तलब करने से इन्कार कर दे रोयदाद मिसिल में शहादत का काफीं मवाद और तजवींज और वुजू तजवींज का बयान शामिल होगा अफसर मजाज तादींब को लाजिम होगा कि "हर इलजाम" की बावत अपनीं तजवींज कलम बन्द करे और मामले में मोजुँ और मुनासिब एहकाम सादिर करे और अगर वह खुद हाकिम तहकींकात कुनन्दा न हो तो ऐसा करने से कब्ल मवादेमिसिल का बगांइर मुताल्ला करे ।

२) उन जवाबित का उन सूरतों में इत्तिलाक नहीं होगा जब शख्स मुत्ताल्लिका फरार हो गया हो या दींगर वुजू से उससे राबता कायम करना

६) मुस्तकिल मुलाजिम की मुलाजमत से जबरिया सुबुक दोशी।

७) बोर्ड की मुलाजमत से बरतरफी जो आइन्दा मुलाजमत के लिए माने न होगी।

८) बोर्ड की मुलाजमत से मोकूफी जो मामूलन आइन्दा मुलाजमत के लिए माने होगी।

विजाहत :-जाबता हाजा के मफहूम में उमुर जेल सजा का हुक्म नहीं रखेंगे।

१) मुलाजिम बोर्ड के तरक्की के मसअले में गौर करने के बाद उसको उस ग्रेड या ओहदे पर तरक्की न देना जिस पर तरक्की पाने की मन्जिल तक वह पहुंच चुका हो।

२) किसी मुलाजिम को जो किसी बरतर ओहदे या ग्रेड पर बतौरे कायम मुकाम के ताइनात हो इस बुनियाद पर कमतर ओहदे या ग्रेड पर वापस करना के आजमाइश से वह बालातर ओहदे या ग्रेड मजकूर के लिए खालिस इन्तजामी वुजू से जिनका ताअल्लुक आमाल से नहीं है नामोजूं पाया गया है।

३) किसी मुलाजिम की जो किसी बरतर औहदे या ग्रेड पर मशरूत तरीके पर या इमतहानन ताइनात किया गया हो मशरूत या इमतहानी मुद्दत ताइनाती के दोरान आ इखतेताम पर अपने असली ओहदे या ग्रेड पर शराइत ताइनाती के ताबे वापसी।

४) किसी ऐसे मुलाजिम की जो मशरूत तरीके पर या इमतहानन ताइनात किया गया हो मशरूत या इमतहानी मुद्दत ताइनात के दौरान या खातमे पर मुलाजमत से सुबुक दोशी या ऐसे शख्स की जो किसी मुहायदे के तहत रखा गया हो। मुहायदा मजकूर की शराइत के ताबे मुलाजमत से सुबुकदोशी।

शदीद सजायें आइद करने का जाबता :-

५२ (१) पब्लिक सर्विस इन्क्यू आइरी ऐक्ट सन १८५० ई० (नं० ३७– सन् १८५० ई.) के एहकाम में खलल अन्दाज हुए बगेर जाइज न होगा कि सजा हाए मुन्दर्जा फिकरात ५ ता ७ कायदा ५१ में से किसी सजा केआइद किए जाने

नाकाबिले अमल हो गया हो उन जवावित के जुमला या बाज एह्काम को इस तिसनाई हालात में उन मखसूस और काफी वुजू की बिना पर जो कलम बन्द की जायेगी उस सूरत में नजर अन्दाज किया जा सकता है जब जवाबित के लवाजिम की हर्फ ब हर्फ पाबन्दी दुशवार हो और लवाजिम मजकूर को मुलजिम के साथ न इन्साफी के वगैर नजर अन्दाज किया जा सकता हो ।

खफ़ीफ़ सजाऐं आइद करना :—

५३—उन सजाओं के आइद करने का जिनकी तसरीह जाबता ५१ के फिकराजात १ ता ४ में है कोई हुक्म उस वक्त तक सादिर नही किया जायगा जब तक मुलाजिम को इस अमर कि की उसका तदारूक किया जाना तजवीज किया गया है । और उन इल्तिहामात की जिनकी इल्लत में तदारिक किया जाना तजवीज किया गया है तहरीरी इत्तिला न दे दी जाये और उसको हस्बेमरजी ऐसी मारूजात पेश करने का मौका न दे दिया जाय जिन पर अफसर मजाज तादीब को गोर करना होगा ।

बहाली की सूरत में मशाहेरा और मवाजिब :-

५४ (१) जब कोई मुलाजिम जो मोकूफ या बर्खास्त या मोअत्तिल कर दिया गया या बहाल किया जाय तो अगर वह हाकिम बहाली का हुक्म या हुक्मे मुअत्तिली को मुसतरद करने का मजाज हो मुअत्तिली के बारे में इसकी तसदीक करे कि कुल्लियतन नावाजिब थी तो मुलाजिम मजकूर को सालिम तनखा और मवाजिब के और गुजारा अदा करदा के दरमियान का फर्क अदा किया जायगा और ऐसी मुअत्तिली के मामले में खिदमात न अन्जाम देने की मुद्दत को जुमला अगराज के लिए ऐसी मुद्दत करार दिया जाऐगा जिनमें कामिल खिदमात अन्जाम दीं गई हों ।

(२) उस मुलाजिम का मुशाहेरा और एलाउन्स जो मुलाजमत से बरतरफ या मोकूफ कर दिया गया हो तारीख बरतरफी या मोकूफी से बन्द हो जाएगा किसी मुलाजिम को इस सूरत में कोई रूखसत नहीं की जाएगी जब इन जवाबित के मातहत हाकिमे मजाजे तादीब ने उसकी बोर्ड ने मुलाजमत से मोकूफी बरतरफी या सुबुक दोशी का फैसला कर दिया हो ।

अपील और नजरे सानी :—

५५ (१) मुलाजिम बोर्ड हुक्मे मुअत्तिली या सजा हाय मिसरहे जाबता

५२ में से किसी सजा के आइद किये जाने के हुक्म के खिलाफ हुक्मे मजकूर की तारीख से एक माह के अन्दर बोर्ड में अपील कर सकता है । बोर्ड जो फैसला सादिर करेगा वह कतई होगा ।

(२) बोर्ड के इबतिदाई या अपील में सादिर करदा किसी हुक्म के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकेगी ऐसी सूरत में मुलाजिमे नाराज नजर सानीकी दरखास्त पेश कर सकता है ओर बोर्ड मजाज होगा कि उस पर जो मुनासिब खियाल करे हुक्म सादिर करे इस हुक्म आखिर की नकल जिसके खिलाफ नजरसार या अपील दायर की गई है दरखास्त के हमराह मुनसलिक की जायगी ।

अपील की शक्ल और उसका मजमून :–

५६ (१) हर शख्स जी अपील पेश करे वह अलहेदा और अपने नाम से अपील पेश करेगा ।

(२) अपील में हाकिमे मजाज समाअते अपील को मुखातिब किया जाएगा इसमें जुमला वह अहम मोअज्जिबात और दलाइल दर्ज होंगे जिन पर अपील कुनिन्दा इसतिदलाल करना चाहता हो इसमें कोई नाशाइस्ता और खिलाफे तहजीब बात दर्ज नही होगी और वह कामिल मवाद की हामिल होगी ।

अपील का पेश करना :–

५७ अपील बतवस्सुत सिकरेट्री पेश की जाएगी और इसमें एक नकिल उस हुक्म की शामिल होगी जिसके खिलाफ अपील की गई है ।

अपील का रोक लिया जाना :-

५८ (१) वह अफसर जिसके हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई है अपील रोक सकेगा ।

१] अगर वह ऐसे हुक्म के खिलाफ अपील है जिस हुक्म की अपील नहीं हो सकती है ।

२] अगर वह जाबता ५६ के एहकाम में से किसी हुक्म की शराइत पूरी नहीं करती है ।

३] अगर वह मीआदे मुअय्यना जाबता नं० ५५ के अन्दर पेश नहीं की गई है और न ताखीर का कोई उज्र पेश किया गया है ।

या

४] अगर वह किसी फेसलशुदा अपील का महज इआदा हे और इसके अन्दर कोई नए हालात या वाकेयात दलील में पेश नहीं किये गये हैं मगर शर्त यह है कि जो दरखास्त फार्म अपील महज जाबता ५६ के एहकाम की अदम तामील की वजा से रद की गई हो और वह अपीलांट को वापिस करदी जायेगी और अगर वह पन्द्रह दिन के अन्दर एहकामे मजकूर की तामील करके दोबारा पेश करदी जाय तो फिर उसको नहीं रोका जाएगा ।

३) अगर अपील रोकली जाए तो अमरे मजकूर और इसके वुजू से अपीलांट को मुत्तिला किया जायगा ।

अपील का बढ़हा दिया जाना :-

५६ (१) कोई अपील अगर जाबता नं० ५८ के तहत न रोकी गई हो तो उसको वह हाकिम जिसके हुक्म के खिलाफ अपील की गई है बिला किसी इमकानी ताखीर के अपने तबसिरे और मुतअल्लिका रिकार्ड के साथ अफसर समाअते अपील के पास इरसाल कर देगा ।

(२) हाकिम मजाज समाअते अपील किसी ऐसी अपील को जो जाबता नं ५८ के तहत रद की गई हो तलब कर सकता है और ऐसे हुक्म पर अपील मजकूर हाकिमे मजकूर के पास रोकने वाले हाकिम के तबसिरे और रिकार्ड मुतअल्लिका के साथ इरसाल कर दिया जाना लाजिम होगा ।

समाअतै अपील :-

६० (१) हुक्म मुअत्तिली के खिलाफ अपील पेश होंने पर हाकिम समाअते अपील गोर करेगा कि अया जाबता नं० ५१ के एहकाम की रोशनी में नीज हालाते मुकदमा के लिहाज से हुक्मे मुअत्तिली दुरुस्त है या नहीं और इसी एतेबार से इस हुक्में मुअत्तिली की तोसीक या इसतरदाद करेगा ।

(२) दूसरे मामलात में अपील पेश होने पर हाकिमे अपील गोर करेगा कि–

ए] अया जबाबित हाजा में जो तरीककार मुताअय्यन है उसकी पाबन्दी की गई है अगर नहीं कि गई है तो उसके नतींजे में कोई ना इन्साफी हुई है।

बी] अया नताइज जो अख्ज किये गये हैं वह दुरुस्त हैं और

सी] अया सजा जो आइद की गई है वह ज्यादा है' मुनासिब है या कम है और इन उमूर पर गोर करने के बाद जो मुनासिब समझे एहकाम सादिर करेगा।

अपील में सादिर किए हुए एहकाम पर अमल दर आमद :-

६१—लाजिम हैं कि वह हाकिम जिसके हुक्म के खिलाफ अपील दाइर की गई थी हाकिम समाअते अपील के सादिर करदा एहकाम पर अमल दर आमद करे

रूखसत :—६२— रूखसत बोर्ड के जुमला अफसरान व एहलकारान सिवाय सिकरेट्री के निस्ल मुलाजमाने सरकारी ऐसी रूखसत पाने के मसतहिक होंगे जो उन्हें (मुलाजमान सरकार को) तहत कवाइद रूखसत वकतन फवकतन मन्जूर की जाती है लेकिन रूखसत रिआयती के मावजे में नक्द रकम वसूल करने का फायदा जो मुलाजिम सरकार को हासिल है वह मुलाजमाने बोर्ड को हासिल न होगा मगर शर्त यह हैं कि कोई मुलाजिम बोर्ड सालिम तनखा के साथ रूखसत का बतोर इस तेहकाक मतालबा नहीं कर सकता।

२) हर किस्म की रूखसत सिकरेट्री मन्जूर करेगा सिवाय रूखसत सालिम तनखा के और रूखसत गैर मामूली के जो चियरमेन की मन्जूरी माकब्ल से अता की जा सकती हैं।

३) रूखसत मन्जूर या ना मन्जूर करना कुल्लियतन अफसर मजाज अताए रूखसत के सवाबदीद पर मुनहसिर होगा।

भत्ता सफर और योमिया भत्ताः-

६३ इन असफार कीं बाबत जो बकारे बोर्ड किये जाऐं मुलाजमाने बोर्ड उस तरह से और उन उसूल के मुताबिक भत्ता सफर और भत्ता योमिया पाने के मुस्तहिक होंगे जो बोर्ड जरिये रेजूलेशन मुताअय्यन करदे।

भत्ता सफर और भत्ता योमिया के लिए पेशगी :-

६४ उन असफार की बाबत जो मुलाजमाने बोर्ड को अपने फराइजे मनसबी के सिलसिले में करना हों भत्ता सफर और भत्ता योमिया के लिए चियरमेंन की

मन्जूरी से जो बोर्ड की तोसीक मा बाद के तावे होगी पेशगी बरामद की जा सकती है।

कन्ट्रोलिंग अफसर :-

६५ चियरमेंन अफसरे निगराँ (कन्ट्रोलिंग अफसर) होगा अपने बिल भत्ता सफर डबल भत्ता योमिया के लिए।

२) चियरमेन अफसरे निगराँ (कन्ट्रोलिंग अफसर) होगा और मिमबराने बोर्ड के बिल भत्ता सफर व बिल भत्ता योमिया के लिए।

३) सिकरेट्री अफसरे निगराँ (कन्ट्रोलिंग अफसर) होगा मुलाजमाने बोर्ड और मिमबरान के अलावा दीगर अशखास के बिल भत्ता सफरों बिल व भत्ता योमिया के लिए।

आमाल मुलाजमाने बोर्ड :-

६६ १) बोर्ड का कोई अफसर या मुलाजिम किसी सियासी जमात या किसी ऐसी तनजीम का जो सियासत में हिस्सा लेती हो न तो मिमबर होगा और न किसी तरह का इससे राबता रखेगा और न वह किसी सियासी तहरीक या इकदाम में हिस्सा लेगा या इसकी एआनत में चन्दा देगा और न किसी तरह पर उसकी माबेनत करेगा।

२) बोर्ड का कोई अफसर या मुलाजिम न तो किसी अखबार या रिसाले का कुल्ली या जुजवी तौर पर मालिक होगा और न उसकी इदारत या एहतमाम को चलायेगा या इसमें हिस्सा लेगा।

३) बोर्ड के किसी अफसर या मुलाजिम के लिए जाइज नहीं होगा कि रेडियो के किसी नशरिये में या किसी ऐसी दस्तावेज में जो गुमनाम या खुद उसी के नाम से या किसी दूसरे शख्स के नाम से शाया हुई हो या प्रेस के नाम किसी मकतूब में या जलसाएआम की किसी तकरीर में किसी वाकिआ या रायका इजहार करे जो बोर्ड की किसी ताजा या रवां पालिसी या काररवाई पर मुआएदाना तबसिरे का असर रखता हो।

४) बोर्ड के किसी अफसर या मुलाजिम के लिये जाइज नहीं होगा कि वह

मुलाजमानी मामलात में अपने मतलब को पूरा करने के लिए बोर्ड के किसी आला अफसर या मिमबर या चियरमेंन पर कोई सियासी या बेरूनी दबाव डलवाए या डलवाने का इकदाम करे ।

वक्फ की रजिस्ट्री के लिए दरखास्त का फार्म:—

६७ १) वक्फ की रजिस्ट्री की दरखास्त जिसका हवाला एक्ट की दफा २५ में है फॉर्म नं० २ पर दी जाएगी जो हमसिल्क हाजा है और इसमें वह तफसील दर्ज होगी जिसकी इसमें सराहत है ।

२) वक्फ की रजिस्ट्री की तमाम दरखास्तें बोर्ड के दफ्तर में या ऐसे हाकिम या कमेंटी के दफ्तर में असालेतन पेश की जा सकती है जिनको ऐसी दरखास्तें वसूल करने का इखतियार हो या रजिस्ट्री शुदा डाक से बोर्ड के दफ्तर में इरसाल की जा सकती हैं ।

३) अगर दरखास्त ऐसे हाकिम या कमेंटी के दफ्तर में पेश हुई हो जिसको इसे वसूल करने का इखतियार हो तो हाकिम या कमेटी मजकूर को लाजिम होगा कि उसको फोरन अपनी रिपोर्ट के साथ बोर्ड के दफ्तर में इरसाल करदे ।

४) मामले के जितने फरीक हों दरखास्त के हमराह उसकी उतनी ही नुकूल भी दाखिल की जाऐंगी और डाक के इस कीमत के टिकिट भी जो फरीकेन को जरिये रजिस्ट्री नोटिस दिये जाने के सरफे को पूरा कर सकें ।

५) ऐसी तमाम दरखास्तें एक रजिस्टर में दर्ज की जायेगी जो इस गर्ज के लिए रखा जायगा ।

वक्फ की रजिस्ट्री :—

६८ रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मौसूल होने पर सिकरेट्री या वह हाकिम जिसको इसके बारे में इखतियारात हों वक्फ की रजिस्ट्री से कब्ल दरखास्त के दुरुस्त और जाइज होने की बाबत और इसमें मुन्दर्जे तफसीलात की बाबत ऐसी तहकीकात करेगा जो वह जरूरी समझे जब कोई दरखास्त तनजीम जायदाद वक्फ के अलावा कोई और शख्स पेश करे तो सिकरेट्री या हाकिमे मुतअल्लिका वक्फ की रजिस्ट्री से कब्ल मुनतज़िम जायदादे वकफिया को नोटिस देगा या दिलायेगा ।

और अगर वह मुनतजिम चाहे तो उसके उजरात कीं समाअत करेगा अगर सिकरेट्री या अफसर मुतअल्लिका को तहकीकात से पता लगे कि दरखास्त रजिस्ट्रेशन के ज्वाज या इसके किसी इन्दराज की सहत के बारे में मुन्तजिम जायदादे वकफिया और दूसरे अशखास के माबेन अहम इखतिलाफ है तो वह मामले को बोर्ड में पेश कर देगा और इसके बारे में एहकाम हासिल करेगा कि किन तफसीलात के साथ रजिस्ट्री की जाय।

वक्फ के रजिस्टर में काबिले इन्दराज तफसीलात :-

६९ वक्फ का रजिस्टर जिसका हवाला दफा २६ में है फार्म नं०४ पर होगा जो हमसिल्क हाजा हैं और इसमें वह तफसीलात दर्ज होंगीं जिनकी इनमें सराहत हैं ।

वह फार्म जिस पर मुतावल्लियान बजट तैयार करेंगे :-

७० (१) वकफ एकट की दफा ३१ में जिस बजट का हवाला हैं वह फार्म नं० ४ पर होगा जो हमसिल्क हाजा हैं और उसमें वह तफसीलात दर्ज होंगी जिनकी उसमें सराहत है।

२) वक्फ एक्ट की दफा ३१ में मुताजकिकरा हर बजट मुतावल्लियान साले मा कब्ल के हमराह दिसमबर में या ऐसे वक्त पर बोर्ड में पेश करेंगे जो बोर्ड वकतन फवकतन मुकर्रर करे ।

३) सिकरेट्री बजट मोसूल होने पर उसकी तनकीह करेगा और अपनी रिपोर्ट के साथ फनान्स कमेटी के सामने मन्जूरी के लिए या अपने तबसिरे के साथ बोर्ड में पेश करने के लिए (यानी जैसी की सूरत हो) रख देगा ।

४) बजट के मुतअल्लिक बोर्ड ऐसे एहकाम सादिर करेगा जो वह मुनासिब समझे ।

५) जबतक बजट मन्जूर न हो मुतवल्ली साबिका मन्जूर शुदा बजट के मेयार के मुताबिक मसारिफ कर सकता हैं ।

६) एसे हर बजट में जरूरयाते जेल के मुतअल्लिक माकूल रकम रखी जायेगी ।

ए] वक्फ का मौजूदा मेयारे मसारिफ।

बी] वक्फ के जमगी दीवन की जरूरी अदाएगी।

सी] वाकिफ की हिदायत के ताबे या रस्मो रिवाज के मुताबिक मजहबी खेराती और दीगर उमूर पर मसारिफ।

डी] तहवील बाकी जो काम चलाने के लिए जरूरी हो।

वक्फ के हिसाबात की दाश्त और उनकी तनकीह :-

७१-(१) वक्फ का हर मुतावल्ली मुन्दर्जा जेल कुतुब मुतावल्ली मुरातिब रखेगा :-

ए] सियाहा जिसमें योमिया आमदो खर्च लिखा जायगा।

बी] लेजर जिसमें मद दार आमदो खर्च का इनदिराज होगा।

सी] एक रजिस्टर जखीरा जिसमें वक्फ की ममलूके खरीद करदा या वक्फ को अतये में मिली हुई जायदाद हाए मंकूला की फहरिस्त मय इजहारे कीमत के होगी और इसमें खरीदारी या अतया मजकूर की तारीख और सामान की तफसील भी होगी और अगर कोई सामान फरोख्त कर दिया जाय तो यह तफसील के किस तरीके पर किस के हुक्म से और किस मावजे में फरोख्त किया गया।

डी] एक रजिस्टर जायदादे गेर मनकूला का जिसमें उसके महलों को और माल गुजारी या लगान या दूसरे महसूलात की जो उसकी बावत काबिले अदा हों और बार हाए मवाखेदा की अगर उस पर कोई आइद हों तफसील होगी और अगर उसको फरोख्त कर दिया जाय तो ये तफसील भी होगी कि किस तरीके पर किस के हुक्म से और किस मावजे में फरोख्त किया गया।

इ] फार्म नं० ५ पर एक रजिस्टर मतालबे और वसूली का।

एफ] एक किताब माएना।

जी] कोई दूसरी किताब जिसकी बाबत बोर्ड ने हिदायत की हो या मुतावल्ली जरूरी समझे मगर शर्त यह है कि बोर्ड को इखतियार होगा कि एक तहरीरी हुक्म के जरिये से बाइजहारे वुजुह मुन्दर्जा बाला कुतुब में से वह किताबें हज्फ करे जो उस वक्फ की खास नोइय्यत की वजा से जरूरी न हों।

२) मुतवल्लियों को लाजिम होगा कि एक्ट की दफा ३२ की मंशा के मुताबिक हर साल यकुम मई से पहले सही और मुकम्मल तखता हिसाब फार्म नं० ६ पर पेश करदें ।

३) ओकाफ के हिसाबात आडिट करने के लिए बोर्ड सनदयाफता आडीटर या आडीटरों का तकर्रुर करेगा ।

४) आडीटर ओकाफ के हिसाबात की जांच करेगा जायदादों की तसदीक करेगा और नफा नुकसान के असबाब का इजहार करते हुए रिपोर्ट करेगा और हस्ब जेल उमूर की निसबत मालूम करके उनको नोट करेगा ।

१] कुल मतालबा ।

२] बाकई आमदनी ।

३] रकम बकाया ।

४] मालगुजारी, चुन्गी टेक्स जो गवर्नमेंन्ट या किसी मकामी इदारे को वकफिया जायदाद के बारे में काबिले अदा हों ।

५] किराया लगान जो बाकई अदा किया हो ।

६) बाकी किराया काबिले अदा ।

७] पूरी अमलाक में से हर हर जायदाद की बाबत वजे कि क्यूं (किराया या लगान) अदा नहीं हो सका ।

८] मुतावल्ली के हिसाब के मुताबिक मसारिफ ।

९] खालिस आमदनी मुहस्सिला ।

वह इजहारे राय करेगा मतालबात की वसूली की केफियत के बाबत और मुतवल्ली की गफलत या अदम दिल चस्पी की बाबत और बहतर वसूली या इन्तेजाम के जराए तजवीज करेगा ।

५) इसके बाद वह मसारिफ का जायजा लेगा और जहां जरूरी हो खर्चा की एक एक कलम को उसकी रसीद (वाउचर)से चेक करेगा बदउनवानियां नोट करेगा और अगर बे जाबतिगयां या बेजा मसारिफ पाये जाएं तो उनको नोट करेगा और साथ ही साथ उस शख्स या अशखास की निशानदेही करेगा जिनपर उनकी जिम्मेदारी आइद होती हो ।

६) इसके बाद वह मसारिफ की मदवार तसरीह हस्ब मुन्दर्जा हिसाबात करेगा और हर मद की मीजान जुदागाना देगा और फिर उन मींजानात का मुकाबला वाकिफ की हिदायात मुन्दर्जा वक्फ नामों से या रिवाज और दस्तूर की मुताबिकत में करेगा और रिपोर्ट में उसका इजहार करेगा कि वाकिफ की मनशा को किस तरह पूरा किया गया है ।

७) वह बतलायेगा कि आया कोई तोफीर है और आया कोई गर्ज मुन्दर्जा वक्फ नामा, हालात बदल जाने की वजा से ना काबिले अमल या ना कबिले तकमील हो गई है और अगर ऐसा है तोफीरमजकूर और पसमान्दा रकम वक्फ के बहतरीन मफाद में किस तरह सर्फ की जा सकती है ।

८) आडीटर खासतोर से उमूर जेल का पता चलायेगा और उनकी बाबत तहकीकात करेगा और रिपोर्ट करेगा ।

१] आया तमाम इत्तिलाआत और तोजीहात जो आडिट के लिए दरकार थी आडीटर को मुहय्या करदी गई थी ।

२] आया आडीटर की राय में बेलेन्सशीट एक्ट के एहकाम के मुताबिक तैयार की गई है ।

३] हिसाबात में जाहिर करदा उस इत्तिला और विजाहत के मुताबिक जो मुतवल्ली ने फराहम की है आया बेलेन्सशीट ने वकफिया जायदाद के माली हालात के सही और सच्चा खाका पेश किया हैं ।

४] आया वक्फ के मकासिद पूरे किये गये है और अदाएगीयाँ करदी गई हैं ।

५] आया वकफिया जायदाद की आमदनी इस तरह खर्च की गई है जिस तरह खर्च करने का वक्फ नामा की रू से इखतियार नहीं था और अगर ऐसा है तो जायदाद वकफिया की आमदनी के इस तरह खर्च करने का किस ने इखि-तियार दिया था ।

६] आया जुमला कानूनी मतालबात अदा कर दिये गये हैं अगर नहीं तो कौन से मतालबात अभी तक बाकी हैं । और वह वकफिया जायदाद को किस तरह मुतास्सिर कर रहे हैं ।

७] मोकूफ अलयहिम के नाम हर एक का मतालबा किस हद तक वह मतालबात अदा हो गये हैं और अगर कोई बकाये जात हैं तो क्या उनके बुजूह का

ज्वाज जयदाद के हालात से निकलता है मसाजिद, स्कूल, सराए, कबरिस्तान मुसाफिर खाना, यतीमखाना, और दूसरे इदारे जिनके नाम रकम मखसूस की गई है मोकूफ अलयहिम शुमार किये जायेगें आया वक्फ मकरूज है अगर ऐसा है तो कर्ज देहन्दा के नाम हर करजे की तारीख शरहेसूद और मोजूदा हालात नोट होना चाहिऐं अगर जरूरी हो तो एक तजवीज मुनासिब अरसे में करजा मजकूर अदा करने की मुतावल्ली के मशवरे से बनाई जाए और रिपोर्ट के साथ शामिल कीं जाए ।

मसारिफ की रसीदात :–

७२–हर मुतावल्ली खर्चा की हर कलम की रसीद हासिल करेगा और उसे पेश करेगा ।

रसीदात की परतसानी :–

७३–मुतावल्ली हर आमदानी की जो रकम वसूल,इसकी दो परता रसीद तैयार करेगा ।

अगराज चन्दा निगरानी के लिए आमदनी के शुमार करने का तरीका :–

७४- १) एक्ट की दफा ४६ के तहत चन्दा निगरानी आइद करने की गर्ज से वक्फ की खालिस सालाना आमदनी मुताअय्यन करने के लिए वक्फ मजकूर की कुल सालाना आमदनी में से मालगुजारी अबबाब महसूलात और टेक्सों को उन रकूमको के मिनहा कर दिया जायगा गर्वनमेंन्ट या लोकल अथार्टी के काबिले अदा हों ।

२] जब ऊपर दिये हुए तरीके से वक्फ कीं मोजूदा खालिस आमदनी का तअय्युन हो जायगा तो सिकरेट्री या महासिव इस चन्दा निगरानी की तशखीस जो वक्फ मुताल्लिका की बाबत मुतवल्ली के जुम्मे काबिले अदा होगा इन शरूह के मुताबिक करे गा जो बोर्ड ने गर्वमेन्ट की मन्जूरी से मुताअय्य की हो ।

३] इसके बाद सिकरेट्री फार्म नं० ७ मुनसलिकाहाजा पर एक नोटिस मतालबा वक्फे मुतल्लिका के मुतवल्ली के नाम जारी करेगा जिसमें काबिले अदा रकम की और इस आखरी तारीख की सराहत हो जबतक रकम मजकूर अदा होजाना चाहिये ।

४] वह मुतवल्ली जिसको कोई नोटिस मतालबा मिला हो मजाज होगा कि रकम या शरेह चन्दे की बाबत तारीख वसूली नोटिस मतालबे से पन्द्रह योम के अन्दर उज्रदारी पेश करे।

५] कोई उजर दारी उस वक्त तक काबिले समाअत न होगी जब तक रकम मतालबा जमा न करदी गई हो और उसकी रसींद उज्रदारी पेश करदा के हमराह मुनसलिक न करदी गई हो।

६] उज्रदारी मोसूल होंने पर उसका इन्दराज एक रजिस्टर में किया जाएगा जो उस गर्ज के लिए फार्म नमूना नं० ८ पर मुरत्तिब रखा जायगा और उज्रदारी मजकूर पर कोई हुक्म उस वक्त तक नहीं दिया जायगा जब तक फरीकेन मुताल्लिका को समाअत का मौका न दे दिया जाए।

७] दरखास्त उज्रदारी की समाअत और उसका इनफिसाल बोर्ड करेगा। या वह कमेटी या शख्स करेगा जिसकों उस गर्ज के लिए बोर्ड ने मुकर्रर किया हो इस मामले में जो फेसला बोर्ड सादिर करेगा वह मुखततिम और कतई होगा ता वक्त ये कि कोई अदालते मजाज उसे मुसतरद न करदे।

रिकार्ड का मायना :—

७५–[१] बोर्ड की कार्रवाईयों की रुदाद के और दूसरे रिकार्ड के मायने की फरीकेन मुताल्लिका को उनके वुकला और मुखतार उनको और उन असखास को आम इजाजत होगी जो कार्रवाई मजकूर से इलाका रखते हों या जो उससे मुतास्सिर हुए हों, अगर दूसरा कोई शख्स मायना करना चाहे तो माकूल वुजुह के इजहार पर उसे भी इजाजत दी जा सकती है।

२] मायने के लिए तहरीरी दरखास्त फार्म नं० ६ पर पेश की जायेगी और उसमें ऐसे रिकार्ड का वाजेह पता दर्ज होगा जिसका मायना मतलूब हैं। दरखास्त सिकरेट्री को पेश की जाएगी जो उस पर हुक्म देने का मजाज होगा।

३] किसी वाहिद रिकार्ड या फाइल के जुमला कागजात के लिए मायने के लिए एक ही दरखास्त और एक ही फीस मायना दी जायेगी।

४] ऐसी दरखास्त मामूली मायने के लिए यानी दरखास्त पेश होने से २४

घन्टे बाद के लिऐ दी जा सकती है या फोरी मायना के लिए यानी दरखास्त पेश होने की तारीख में ही मायने के लिए।

५) जुमला मामलात में एक वाहिद दरखास्त पर मामूली मायने की फीस १) रुपये होगी और फोरी मायने की मामूली मायने की फीस की दो चन्द।

६) मुताअय्यना फीस नक्द अदा की जायेगी। और बोर्ड दरखास्त गुजार को उसकी रसीद देगा।

७) एक रजिस्टर जिसका नाम 'रजिस्टर मायना" होगा फार्म नं० १० मुनसलिक हाजा पर बोर्ड के दफतर में रखा जायगा।

८) अगर कोई शख्स दरखास्त पेश करने के लिए दिन के अन्दर रूदाद या रिकार्ड मुतालिका का मायना नहीं करता तो मायने के लिए ताजा दरखास्त देना होगी और साबिका जमा शुदा फीस बहक बोर्ड जब्त हो जायेगी।

९) मिमबराने बोर्ड या मिमबराने केमेटी से या उस अफसर या उन अफसरान से जिन को गर्वमेन्ट ने बतोरे खास मायने का मजाज किया हो मायने की कोई फीस नहीं ली जाएगी।

१०) हर मायना सिकरेट्री के या एहलकार इनचार्ज रिकार्ड के जेरेनजर किया जाएगा।

११) मायना के दौरान रिकार्ड की किसी दस्तावेज या कागज की नकल करने की या कलम और रोशनाई का इस्तेमाल करने की सख्त मुमानिअत है।

१२) एहकाम मुन्दर्जा बाला की खिलाफ वरजी दरखास्त गुजार के हक मायने को जाइल कर देगी।

१३) सिकरेट्री उन वुजूह की वुनियाद पर जो कलम बन्द की जाऐंगी किसी दरखास्त मायने को नामन्जूर कर सकता हैं और जो फरीके हुक्म मजकूर से नाराज हों वह मजाज होगा कि हुक्म मजकूर के खिलाफ तारीखे हुक्म से पन्द्रहा योम के अन्दर बोर्ड में दरखास्त निगरानी पेश करे।

दरखास्त हुसूल नकलः–७६ (१) बोर्ड की कारवाईयों की रूदाद और दफतरी रिकार्ड की नकूल हासिल करने के लिए दरखास्त तहरीरी होगीं जो

सिकरेट्री बोर्ड के नाम होगी और जिसमें मुन्दर्जा जेल तफसीलात होगी।

१] दरखास्त गुजार का नाम और पता।

२] आया दरखास्त गुजार उस कार्रवाई का फरीक है या नहीं जिससे मुताल्लिक रिकार्ड में वह कागज शामिल है जिसकी नकल मतलूब है। अगर दरखास्त गुजार फरीक नहीं है तो वह गर्ज बयान की जाएगी जिसके लिए नकल मतलूब है।

३] नाम और तारीख उस दस्तावेज या कागज की जिसकी नकल की दरखास्त दीं गई है और पुरा पता उस रिकार्ड या फाइल का जिसमें कागजात या दस्तावेज मजकूर शामिल है।

४] आया दरखास्त फोरी हैं या नहीं।

५] आया दरखास्त गुजार की ख्वाहिश है कि नकल जरिये डाक इरसाल की जाए।

२) नकल की हर दरखास्त के साथ मुबलिग १ रुपया फी नकल दिया जाएगा और माबकी रकम जमा करने के लिए तारीख मुताअय्यन की जायेगी और पूरीं रकम वसूल हो जाने पर तैयारी नकल का हुक्म दे दिया जाएगा। हर रकम की रसीद फौरन दी जाएगी।

३) नकूल के लिए मसारिफ मुकाबला और स्टेशनरी मिलाकर हस्ब मुन्दर्जा जेल रकम आइद होगी।

१] मामूली नकल के लिए हर सो लफ्ज या इससे कम पर ५० पैसे।

२] फोरी नकूल के लिए मामूली से दो चन्द।

३] अगर मतलूबा कापी किसी पिलान के नकशे या रजिस्टर की है तो सिकरेट्री काम की नोइयत के एतिबार से उसकी रकम मुताअय्यन करेगा लेकिन किसी सूरत में उजरत २ रुपये से कम न होगी अगर उजरत किसी बाहर के आदमी को दी जाए जो नकल तैयार करे तो सिकरेट्री उसकी रकम इस तरह मुताअय्यन करेगा कि दो तिहाई उस शख्स को अदा हो जो कापी तैयार कर रहा है और एक तिहाई मुकाबला और तसदीक के लिए बोर्ड के हिसाब में जमा की जाएगी।

४] किसी दस्तावेज की बाबत ये तसदीक करने की फीस कि वह नकल मुसद्दिका है ५० पैसे होगी।

५) इस सूरत में कोई जमा करदा रकम वापिस नहीं की जायेगी जब दरखास्त गुजार अपनी दरखास्त वापिस ले ले या मुद्दते मुताअय्यना के अन्दर मावकी रकम जमा करने से कासिर रहे।

६) अताए नकल की दरखास्त का रिकार्ड फार्म नं० ११ के मुताबिक रखा जाएगा।

तलाश करने की फीस :–

७७–अगर दरखास्त गुजारने इस मिसल या रिकार्ड का नं० और जरूरी पता दरखास्त हुसूल नकल में दर्ज न किया हो जिसका मायना या नकल दरकार है तो उसकी तलाश करने की बाबत भी १ रुपया फीस वसूल की जाएगी।

नकल पर तसदीक जोहरी :-

७८-(१) नकल मुकम्मल हो जाने के बाद उसकी पुश्त पर हस्ब जेल इन्दिराजात किये जायेंगे।

१] दरखास्त का नम्बर सिलसिला।
२] दरखास्त की तारीख।
३] अलफाज की तादाद।
४] रकम जो चार्ज की गई।
५] तारीख तैयारी नकल।
६] तारीख हवालगी नकल।

(२) जब नकल का मुताबिक अस्ल होना मालुम हो जाये और वह हवालगी के लिए तैयार हो जाये तो सिकरेट्री उस पर अलफाजे जेल तहरीर करेगा "मुसद्दिका नकल मुताबिक अस्ल" और उस पर दस्तखत करके मोहोर लगवा देगा।

(३) अगर कापीं जरिये डाक मतलूब हो तो मसारिफे डाक पेशगी वसूल किये जायेगे।

एहकाम पर सनदन दस्तखत :-

७९-(१) बोर्ड के एहकाम और फैसलों पर सनदन दस्तखत सिकरेट्रीं करेगा।

(२) बोर्ड कीं आम मोहोर सिकरेट्री के जेरे तहेवींल रहेगीं।

(३) बोर्ड की जानिब से जुमला मरासलत सिकरेट्री के नाम से होगी और बोर्ड के नाम जुमला मरासलत में सिकरेट्री को मुखातिब किया जायगा।

मामलात का राज में रखा जाना :-

८०—चियरमेन मिमबर सिकरेट्री और दूसरे अफसरानों व मुलाजमान बोर्ड उन मामलात को राज में रखने के पाबन्द होंगे जिनका इजहार या अफशा बोर्ड या किसी वक्फ़ के मफाद के लिए मुफर्रत रसां हो ।

रिकार्ड जो मुरत्तिब रखा जायेगा :-

८१—(१) उन रजिस्ट्रात और कुतुब के अलावा जिनका जवाबित हाजा के मुख्तलिफ एहकाम में जिकर है। दीगर रजिस्ट्रात और कुतुब जो दफ्तर बोर्ड में रखीं जाऐंगीं वह हस्बे जवाबित हाजा होगीं ।

(२) जुमला रिकार्ड बोर्ड और उसकी कमेटियों की कार्रवाइयों की रूदादें और जुमला रजिस्ट्रात बोर्ड के दफ्तर के अन्दर सिकरेट्री की तहवील और निगरानी में रहेंगे और किसी सूरत में भी बोर्ड की तहरीरी मन्जूरी के बगैर किसी दूसरे मकाम पर न ले जाये जाऐंगे । अलबत्ता वह रिकार्ड जिसकी नोइयत महज रोजाना कार्रवाइयों के रिकार्ड की हो किसी अदालत के सामने पेश करने के लिए तलब किया जाय तो बोर्ड के चियरमेन की तहरीरी इजाजत से पेश किया जा सकेगा ।

मिमबराने बोर्ड का रिकार्ड का मायना करना :—

८२—कोई मिमबर जो किसी वक्फ वाके रियासत मध्य प्रदेश की बाबत या किसी ऐसे मामले की बाबत जिसका तअल्लुक किसी वक्फ के इनतिजाम और इनसिराम से हो कोई मालूमात हासिल करना चाहता है तो उसको इखतियार होगा कि मालूमाते मजकूर जरिये तहरीर सिकरेट्री बोर्ड से तलब करे और चियरमेन की इजाजत से वह किसी रिकार्ड को भी देख सकता है ।

तनसीख :—

८३—ये जवाबित उन तमाम दूसरे मुताबाजी जवाबित को मन्सूख करते हैं जो मध्य प्रदेश के किसी हिस्से या इलाके में निफ़ाज़ जवाबित हाजा से एनमा कब्ल नाफिज हों ।

बदरे आलम
सिकरेट्री मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड
भोपाल ।

जमीमा अलिफ

इखतियाराते बोर्ड जो चियरमेन को तफवीज किए गए

नं० शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
१	५० रुपये से जाइद हन्गामी मसारिफ का मन्जूर करना।	जलसा नं० २ एजेन्डा नं० २५ मोवर्रखा २२ जुलाई सन १९६१ ई०
२	भोपाल में किसी खास मकामी तहवार या जश्न के लिए या किसी और वजा से एक साल में तीन योम की तातील देना।	जलसा नं ५ एजेन्डा नं. ४ मोवर्रखा २४ दिसम्बर सन १९६१ ई०
३	१) आरा बयात, मकानात, दुकानात वकफिया को मौजूदा कानूनी किराबादारी की पावन्दी करते हुए किराये पर देना।	जलसा नं. १ एजेन्डा नं ५ मोवर्रखा १० नवम्बर सन १९६२ ई०
	२) किराया दारान के मुकाबले में इनखिला जो बसूली बकाया किराये के लिए कानूनी कार्रवाई करना उन उमूर के लिए किसी अफसर बोर्ड को इखतियार देना।	एज़न एज़न
	३) यकसद रुपये तक मदात बजट के मुताबिक खर्च करना।	एज़न
	४) किसी वकफिया जायदाद के बावत दफा नं० ४५ के तहत इन्क्वारी अफसर का तकर्रुर करना।	जलसा नं. ६ एजेन्डा नं. २२ मुवर्रखा २ दिसम्बर सन १९६२ ई०
४	चन्दा निगरानी की वसूली के लिए सर्टीफिकेट जारी करना।	जलसा नं. १ एजेन्डा नं. १३ मुवर्रखा १३ जून सन १९६४ ई०
५	किसी मुलाजिम को जो तातील के दिन मीटिंग की वजा से हाजिरे दफतर रहा हो तातील का मावजा किसी दूसरे दिन की छुट्टी से देना	

न० शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
६	वक्फ बोर्ड के इनतेजाम की आम तोर पर तमाम मामलात में निगरानी करना और कन्ट्रोल रखना।	जलसा नं.१ एजेन्डा नं. ४२ मुवर्रेखा १३ अप्रेल सन १९६८ ई०
७	सिकरेट्री को उसके फराइज बतरीक मुनासिब वजा आवरी और इन इखतियारात की अन्जाम देही के लिए जो उसे तफवीज किये गये हों हिदायत करना और मशवरा देना।	जलसा नं० १ एजेन्डा नं० ४२.१३ अप्रेल सन १९६८ई०
		एजन
८	सादिर और तवाअते फारमात के लिए अन्दर बजट मसारिफ मन्जूर करना।	एजन
९	भत्ता सफर और दूसरे इलाउन्स जो मिमबराने बोर्ड या मिमबराने कमेटी को वाजिब अदा हो उनकी माहाना मन्जूरी सादिर करना।	एजन
१०	हन्गामी हालात में वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड के फराइज अन्जाम देना और इखतियारात नाफिर करना सिवाय उन मामलात के जिनकी मन्जूरी के लिए कानून में मिमबरान कीं खास तादाद मुकर्रर की गई है या बोर्ड के इखतियारात उस मामले में सिर्फ सुन्नी मिमबरान या सिर्फ शिया मिमबरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं।	एजन
११	ऐसे दूसरे इखतियारात और फराइज अन्जाम देना जो वक्फ एक्ट या उसके तहत बनाए गए कायदेसे या ज.बते के तहत चियरमेन को सौंपे गये हों।	

इखतियारात मुन्दर्जा जेल ताबे तोसीक बोर्ड

(अलिफ) दफा नं० ४३ (५) के तहत जरूरी कार्रवाई करना (बे) दाइरी नालिश की इजाजत देना (जीम) मदात बजट मन्जूर शुदा के अन्दर दो हजार रुपये तक मुसतकिल मसारिफ और दो सद रुपये महाना तक मुसतकिल मसारिफ मन्जूर करना। (दाल) [मुताबिक नं० ६] (हे) [मुताबिक नं. १०]

जमीमा 'बे.

इखतियारात बोर्ड जो सिकरेट्री को तफवीज किए गए

नं. शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
१	अदालत में बजानिब बोर्ड नालिशें अपीलें और दीगर कार्रवाइयाँ दाइर करना और मुकाबला बोर्ड के नालिशों, अपीलों और दीगर कार्रवाईयों में पैरवी करना, अरजीदावा, जवाबदावा, हल्फनामा और बकालत नामों पर दसतखत करना दरखास्तें बकालत नामे दाखिल करना और नालिशाते अपील और दीगर कार्रवाइयों में दस्तबरदारी देना, मुकदमात में मसालिहत करना या मुकदमात वापिस लेना और तमाम वह उमूर अन्जाम देना जो नालिशों अपीलों और इजरा डिगरी की कार्रवाइयों में मिनजानिब बोर्ड, अन्जाम दिया जाना जरूरी हो।	जलसा नं. १ ऐजेन्डा नं. १ मुवर्रखा २५ जन सन १९६१ ई.
२	बकफिया जायदादों के रजिस्ट्रशन के लिए दरखस्तें वसूल करना वक्फ	नोटीफेकश नं. १ मध्यप्रदेश गोट मुवर्रखा यकुम जनवरी सन १९६५ ई. पार्ट ३ (१) सफहा नं. ३

046

नं. शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
	बोर्ड की जानिब से बक्फ के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में मुताल्लिका अशखास को नोटिस जारी करना जरूरी मालुमात और दस्तावीजात हासिल करने के लिये हुक्म सादिर करना दफा २५ (७) बक्फ एक्ट के तहत मुताबिक जावता दीवानी तहकीकात करना शहादत कलम बन्द करना और दीगर तमाम उमूर कार्रवाई करना जो ओकाफ के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जरूरी हो।	
३	५० रुपये तक हन्गामी मसारिफ की मन्जूरी देना।	जलसा नं. २ एजेन्डा नं. २५ मुवर्रखा २३, २४ जुलाई सन १९६१ ई.
४	तहत दफा २५ (७) रजिस्ट्रेशन की मन्जूरी देना।	जलसा नं. ४ एजेन्डा नं. ३० मुवर्रखा २७ अक्टूबर सन १९६१ ई.
५	एक साल में ५ दिन हाफ टाइम किसी खास वजा से दफतर रखना ऐसे दूसरे इखतियारात और फराइज अन्जाम देना जो वक्फ एक्ट या उसके तहत बनाये गये कायदे से या जाबते के तहत सिकरेट्री को सौंपने गए हों।	जलसा नं. ५ एजेन्डा नं. ४ मुवर्रखा २४ दिसम्बर सन १९६१ ई.
६	बोर्ड की जरूरियात के मुताबिक वकफिया जायदादों के मुतावाल्लयान से रिपोर्ट आदाद हिसावा तो दीगर–दीगर मालूमात तलब करना।	

नं० शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
७	वकफिया जायदादों उनके हिसाबात दस्तावेजात वगेरा का मायना करना या मायना कराना,	
८	रजिस्टर ओकाफ की तरतीब के सिलसिले में बोर्ड के जुमला इखतियारात और फराइज जो दफा २६ वक्फ एक्ट दिये गये हैं अन्जाम देना।	
९	तहत दफा २७ वक्फ एक्ट मामलात की तहकीकात करना।	
१०	ओकाफ का रजिस्ट्रेशन करना और तहत दफा २८ वक्फ एक्ट उसमें तरमीमात करना।	
११	मुबलिग दो हजार रुपये की हद तक मुतावल्लियान के पेश करदा हिसाबातो बजट आरजी तोर पर मन्जूर करना।	
१२	किसी शख्स या इदारे को दफा ५५ वक्फ एक्ट के तहत किसी वक्फ की बाबत मुकदमा दाइर करने या दीगर मराआत हासिल करने के सिलसिले में बोर्ड की मन्जूरी की इत्तिला देना।	
१३	वक्फ की जानिब से दाइर करदा मुकदमात या वक्फ बोर्ड के खिलाफ दाइर करदा मुकदमात के सिलसिले में तहत जाबता रकम जमा करना या बर आमद करना।	
१४	वकफिया जायदादों के बन्दोबस्त के रिकार्ड में सही इन्दिराजात के सिल सिले में सरकारी अफसरान से मरासिलत करना।	

नं० शुमार	तफसील इखतियारात	हवाला मन्जूरी बोर्ड
१५	दफा ६८ वक्फ एक्ट के तहत जो जवाबित नाफिज किए गए है तहत बोर्ड की रोजमर्रा की कार्रवाई का बशमूल उमूर जेल इन्तिजाम कायम रखा । [१] रूखसत के दौरान काम का इन्तिजाम करना । [बे] सालाना तरकियां मन्जूर करना । [जीम] मन्जूर शुदा ग्रेड में तनखा का तअय्युन मन्जूर करना । [दाल] रूखसत मन्जूर करना । [है] सूबे के अन्दर दोरे की मन्जूरी देना । [वाओ] कुतुबो स्टेशनरी की खरीदारी मन्जूर करना । [जे] खरीदारी फर्नीचर मुबलिग दोसत रूपये की हद तक मन्जूर करना ।	रेगूलेशन नं० ८१ १७ फरवरी सन १९७० ई०
१६	मन्जूर शुदा बजट के अन्दर गेरमुस्तकिल मसारिफ के लिए यकसद रुपये ओर मुस्तकिल मसारिफ के लिए ५० (पचास) रुपये तक की मन्जूरी देना ।	
१७	मसारिफ सादिर ओर फारमात की तबाअत के लिए मन्जूर शुदा बजट के अन्दर ५० (पचास) रुपये की हद तक सरफे की मन्जूरी देना ।	रेगूलेशन नं० ८१ १७ फरवरी सन १९७० ई.

जमीमा 'जीम'

इखतियारात बोर्ड जो मिमबरान बोर्ड को तफवीज किये गये ।

(ए) अपने इलाके की जिला कमेटियों के काम की जांच करना उनकी जरूरी रहबरी करना और असहाब खेर से अतयात हासिल करने में मदद देना ।

(बी) हिसाबात वक्फ की जांच करना और तगललुवो तसरूंफ गिरफ्त में आने पर जरूरी कार्रवाई के लिए चियरमेन को रिपोर्ट करना ।

(सी) अपने इलके की किसी इमलाक वक्फ मे दाखिल होकर मायना करना और मुतावल्ली के वक्फ के बहतर नज्मोनस्क की बाबत मशवरा देना ।

(डी) अगर कोई इमलाक वक्फ रजिस्टर्ड न हो तो मुतावल्ली को रजिस्टर कराने की हिदायत करना और उन अगराज की नोटिस जारीं करना और अदम तामील की सूरत में बोर्ड को मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश करना ।

(ई) हन्गामी सूरत में तहकीकाती कार्रवाई शुरू करना जो हालातों मोके के लिहाज से जरूरी हो और बाद अजां बोर्ड से तोसीक हासिल करना ।

(एफ) फराइज मुन्दर्जा मदूर की बजाआवरी के लिए अपने हलके में दोरा करना ।

नोट :—इन सब कार्रवाईयों की इत्तिला बोर्ड को भेजकर मन्जूरी हासिल करना ।

रेजूलेशन बोर्ड, १३ अक्टूबर सन १९६८ ई.

तनजीम मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड भोपाल

नाम–मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड आगाज–१४ मई सन १९६१ ई. पता–इब्राहीम पुरा भोपाल फोन नं. ३१७५

चियरमेन			सिकरेट्री	साबका ओहदा
मनडवसिदा	नाम	पता		
१४ मई सन् ६१ ई.	हाजी ईसा भाईसाहब	लकी साइकिल स्टोर, भोपाल	१४मई ६१ ई. नजीर एहमद खां सा.	साबिक रजिस्टार हाईकोर्ट भोपाल
यकुम नवम्बर सन् ६२ ई.	मुल्ला फखरूद्दीन सा.	सेफिया कालेज, भोपाल	सन् ६२ ई. शहजादा बदरआलम सा.	साबिक डारेक्टर लेन्ड रिकाडस
१९ जनवरी सन् ६८ ई.	खान शाकिरअलीखां सा.	अट्टा शुजाखां भोपाल	१४दि.६४ ई. नजीर एहमद खां सा.	साबिक रजिस्ट्रार हाईकोर्ट भोपाल
२ दिसम्बर सन् ७१ ई.	मुज्जफर अली खां सा.	गली शेखबत्ती भोपाल	३ अगस्त सन् ६७ ई. सय्यद जाहिर हुसेन सा.	साबिक अन्डर सिकरेट्री फारेस्ट डिपार्टमेंट मध्यप्रदेश
			५ अप्रेल सन् ७१ ई. फजल एहमद सईद सा.	साबिक अन्डर सिकरेट्री होम डिपार्टमेंट मध्यप्रदेश
			यकुम मार्च सन् ७८ ई. अब्दुल हफीज खां सा. [कायम मुकाम सिकरेट्री]	साबिक तहसीलदार मध्यप्रदेश

सरकुलर

मुताल्लिक तशकीलो तकर्रूर जिला वक्फ कमेटी

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ये निफाज इखतियारात वक्फ एक्ट सन १९५४ ई. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डो रेगूलेशन सन १९६३ ई. जवाबित वक्फ कमेटी हाय अजला मन्जूर फरमाए हैं जिनके तहत वक्फ बोर्ड हर जिले के लिए एक जिला कमेटी तीन साल की मुद्दत के वास्ते मुकर्रर करता है और उस जिला वक्फ कमेटी के कुछ फराइज भी मुकर्रर किये हैं जिनकी अन्जाम देही उस वक्त मुमकिन है जब-कि मुतावल्ली साहिबान और ओहदे दारान मुतावल्ली कमेटी उसके साथ तआबुन करें आपकी इत्तिला के लिये जिला कमेटी के चन्द फराइज और इखतियारात दर्ज जेल है —

१) जिले के हुदूद के अन्दर जायदाद हाय मोकूफा और बोर्ड के मफाद की निगरानी और हिफाजत करना।

२) हस्बुलहिदायत बोर्ड जिले के अन्दर वाके किसी वक्फ के तरीके इन्तिजाम की बाबत तहकीकात और बोर्ड को रिपोर्ट करना।

३) जेरे दफा २५ वक्फ एक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तों को और तहत दफा ३२ मुतावल्लियान के पेश करदा हिसाबात को वसूल करना और बोर्ड के पास अपनी राय के साथ इरसाल करना।

४) उन जायदादों के मुताल्लिक जिनकी खालिस आमदनी ३०० रुपये से जाइद न हो मुतावल्लियान के पेश करदा बजटों की जांच करना।

५) जायदाद हाय मुन्दर्जा के हिसाबात जिनकी आमदनी ३०० रुपये से जाइद न हो आडिट करना और अपने तबसिरे के साथ बोर्ड को इरसाल करना और किसी दीगर मोकूफा जायदाद के बारे में जब और जैसी बोर्ड हिदायत करे आडिट रिपोर्ट को अपने तबसिरे के साथ बोर्ड में इरसाल करना।

६) उन इमलाक का पता लगाना जिनको मुतावल्लियान ने खिलाफ कानून मुनतकिल कर दिया हो या जो अशखास गेर मजाज के कबजे में हो और बोर्ड को उनकी बाजयाबी के लिए मशवरा देना।

७) किसी वक्फ की नोइयत या आमदनी या मकसद या दीगर उमूर में रद्दोबदल होंने पर बोर्ड को मुत्तिला करना।

८) वक्फ एक्ट की दफा ४६ के तहत चन्दा निगरानी जमा करना जब कि बोर्ड ऐसा करने का इखतियार दे।

९) कानून और उसके तहत बनाए हुय कवाइदों जवावित या बोर्ड के वकतन फवकतन जारी करदा एहकाम के मुताबिक मुतावल्लियान को उनके फराइज की अन्जामदेही के मामले में रहबरी करना और मशवरा देना।

१०) मुन्दर्जा बाला फराइज की अन्जामदेही के लिए जिले की हुदूद के अन्दर किसी वक्फिया जायदाद का मायना करना और उसके बारे में मुतावल्ली का तरीके इन्तिजाम की तहकीकात करना।

ओकाफ के बहतर इन्तिजाम के लिए ये ज्यादा बहतर होगा कि मुतावल्ली साहिबान अपनी दुशवारियों के सिलसिले में जिला वक्फ कमेटी को रूजू करें और उनसे वकतन फवकतन जरूरी मामलात में मशवरा करते रहें जिला वक्फ कमेटी अपने दाएराए इखतियार के अन्दर जरूरी इसलाही तदाबीर इखतियार कर सकती है और मुफीद मशवरा दे सकती है और अगर कोई ऐसा मामला हो जो उसके इखतियार से बाहर हो तो अपने मशवरे के साथ जरूरी रहबरी के लिए वक्फ बोर्ड को रूजू कर सकती है, उम्मीद है कि जिला वक्फ कमेटी के कायम से मुमकिना फायदा उठाया जायगा और उस से जरूरी तआवुन किया जाएगा।

सिकरेट्री वक्फ बोर्ड
मध्य प्रदेश भोपाल

फार्म नं०—१

फार्म मखफ़ी राय देही

(देखो कायदा – २६)

मध्य प्रदैश वक्फ़ बोर्ड भोपाल

उम्मीदवारों के नाम……………………………………………………………………
कमेटी की मिमबरों के लिए ।

१–

२–

३–

४–

५–

वग़ैरह

दस्तखत चियरमेन

मोहर
मध्य प्रदेश वक्फ़ बोर्ड
भोपाल

फेहरिस्त कुतबो रजिस्ट्रात

(देखो जाबता – ८१)

१–एक रजिस्टर मतालबात और वसूली, जिसमें औकाफ की काबिले तश्खीस आमदनी, मुतावर्ल्लो का नाम, हर वक्फ के हिस्से की काबिले वसूली रकम, रकम जो दौराने साल वसूल हुई वसूली के इकदामात और बकाया अगर कुछ हो दिखाये गये हो।

२–औकाफ की बाबत मुतावल्लियों और दूसरे लोगों कीं मुरसला दरखास्तों का एक रजिस्टर, जिसमें इजराकार के इकदामात मुखतसरन दिखाए गये हों और उसका नतीजा।

३–तेहकीकात को जो बोर्ड के जेरकार हों एक रजिस्टर जिसमें उनके खारिज की तारीख दिखाई गई हो।

४–रिकार्डरट में महफूज तामीलशुदा अमसिलह का रजिस्टर जिसमें उनकी मदात दिखाई गई हों
और अमसिलह जो खारिज करदी गई हों और कार्यवाई खत्म करदी गई हो हस्बजेल तफसील दिखाते हों :–

(ए) नाम फरीकीन और मुआमले की नोइयत
(बी) मिसिल में सफहात की तादाद
(सी) खुलासा और आखरी हुक्म
(डी) खारिज की तारीख
(टी) कोई दूसरीं वजाहत

५–रजिस्टर मोसूला, जिसमें रोज मररा की वसूल शुदा डाक मुनदरिज हो उसका मौजू इरसाल कुनिन्दा का नाम मय तारीख वसूली

६–रजिस्टर मजरिया जिसमें दफ्तर से भेजे गये मरासलात मय तारीख, नम्बर मजरिया, पाने वाले का नाम और मौजू दिया गया हो

७–मुकदमात और कानूनी चारहजोई का रजिस्टर, जिसमें तादाद मुकदमात, नाम फरीकेन मुकदमात दाइर शुदाह बोर्ड या बोर्ड के खिलाफ मय नोइयत और अन्जाम दर्ज हो।

८–बोर्ड के कब्जे में जवाहर और असवाले मन्कूलह् का रजिस्टर, जिसमें सामान की तफसील, कीमत, तारीख खरीद और किसके कब्जे में है दिखाया गया हो।

९–बोर्ड के कब्जे में जायदादे गैर मन्कूलह का रजिस्टर, जिसमें जायबुक, टेक्स काबिले अदा और जायदाद से मोहसिला आमदनी दिखाई गई हो।

१०–रजिस्टर सेकोरीटीज, दीगर कबालहजात ओर कीमती दस्तावेजात।

११–आमदो खर्च का एक जरनल।

१२–एक लेजर जिसमें आमदो खर्च इस तरह मदवार दिखाए गये हों जिस तरह बोर्ड हिदायत करे।

१३–एक जरनल या रजिस्टर पेशगियात।

१४–रजिस्टर योमिया हाजरी अमला दफ्तर।

१५–एक गोशवारह बेबाकी जिसमें अमले का मुशाहिरह, उसकी जो तंख्वाह वाजिब हो दर्ज हो, उसकी रसीद और दस्तखत हों।

१६–एक आर्डर बुक, जिसमें सरकारी अहकाम मुन्दर्ज रखे जाएं।

१७–एक रजिस्टर जिसमें मिमबरान बोर्ड के नाम बोर्ड की मीटिंग में हाजरी के लिए मुन्दर्ज हों या बोर्ड की मुकर्रर करदा कमेटी की हाजरी के लिए और अलाउन्स जो उनको अदा किया गया हो।

१८–एक रजिस्टर, जिसमें इन कमेटियों के नाम दर्ज हों जो बोर्ड वक्तन फवक्तन बनाए।

१९–एक किताब मुआयना दफ्तर।

२०–ऐसे दूसरे रजिस्ट्रात और कुतुब जो बोर्ड मुकर्रर करे।

फार्म–२

दरखास्त तहत दफआ 28 वक्फ एक्ट 1954

बखिदमत जनाब सिकरेट्री साहब एम. पी. वक्फ वोर्ड भोपाल

मैं……………………बल्द……………………साकिन……………जिला…………
मध्य प्रदेश वाके……………………के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तद आ करता हूं तफ्सीलात जरूरी दर्जजेल हैं।

तफ्सीलात वक्फ

१	तफ्सील जायदाद मौंकूफा मय हुदूदे अरवआ खसरह या म्यूनिसपल नं०	
२	तफ्सील असदान वक्फ (नकूल शामिल की जायें)	
३	किस्म वक्फ (सुन्नी ववफ या शीआ वक्फ)	
४	अगराजे वक्फ (विल इखतिसार)	
५	मौजूदा मुतवल्लियानया मुतावल्ली का नाम बकैद वल्दियतो कौमियतो सुकूनत	
६	इस्कीम तोलियत वक्फ (अगर हो)	
७	आमदनी सालाना	
८	जराय आमदनी, तादाद मालगुजारी महसूलातो टेक्स, चन्दा	
९	या दीगर मतालबात सरकारी म्यूनिसपल, दीगर जमाअत सालाना काबिले अदा	
१०	मसारिफ सालाना इन्तेजाम वक्फ	

११	मसारिफ सालाना शोबा अगराजे वक्फ	
,,	अ-तन्ख्वाह या मवाजिब मुतवल्ली (अगर हो)	
,,	ब- मजहबी	
,,	ज- खैराती	
,,	द- तालीम दौनी या दीनवी	
,,	ह- दीगर	
१२	मिकदार जरे नक्वया मतालबात याफती वक्फ	
१३	मिकदार कर्ज दीगर वक्फ	
१४	तफ्सील जायदाद मौकूफा जो मुतवल्ली के कब्जे में न हो	
१५	काबिले नाजाइज का नामो पता मय नोइयत कब्जा नाजाइज	
१६	स्कीम वक्फ अगर कोई हो	
१७	दीगर मालूमात जिसका इजहार जरूरी है।	

खाकसार

पूरा पता..

दस्तखत दरखास्त गुजार

इबारत तस्दीकी :—मैं..............................जरीये हाजा तस्दीक करता हूं कि तफ्सीलात मुन्दर्जे नम्बरात मुनदर्जे बाला मेरे इल्म जाति की बिना पर और नम्बरात........................पर बिनाए मालूमात सही हैं और ताहददे इल्मों यकीन में उनको दुरूस्त बावर करता हूं दरखास्त हाजा की तस्दीक ब तारीख............ ब मकाम..................................की गई।

नोट :—हस्ब जरूरत नम्बरात जिसकी तकमील जरूरी न हो कलमजद कर दियेजाएं अगर किसी पीराग्राफ की तफसील के लिए उसके सामने जगह काफी न हो तो बहवाला नम्बर तफ्सील शामिल करदी जाय।

ब तारीख ....बइन्दिराजात रजिस्टर.............सफहा नम्बर.......... रजिस्ट्रेशन किया गया।

क्लर्क　　　　　　　　　　सिकरेट्री

फार्म न० ३

रजिस्टर रजिस्ट्रेशन औकाफ........................वाके..............................जिला............. मध्यप्रदेश

नम्बर रजिस्ट्रेशन	नाम वक्फ	किस्म वक्फ सुन्नी या शिया वक्फ	मुतावल्ली का नाम मय पता	तरीका जानशीनी मुतावल्ली	तफसील जायदाद मौकूफा मय हुदूद अरबा व नाम शहर तहसील मौजा	खसरा या म्यूनिसपल नम्बर	अगराज वक्फ	तफसील दस्तावेजात मुताल्लिक कायमी वक्फ	आमदनी सालाना	मसारिफ सालाना व सिलसिले इन्तिजाम वक्फ	मसारिफ सालाना अज किस्म अ) तनखाह या मवाजिब ब) मजहबी स) खेराती द) दीगर	रकम माल गुजारी या टेक्स वगेरा सालाना	तारीख रजिस्ट्रेशन	दस्तखत आफीसर रजिस्ट्रेशन बकैद तारीख व सन	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६

फार्म नं० — ४

तहत दफा ३१ वक्फ एक्ट १९५४

तखता बजट वक्फ मोसूमा वाके तहसील जिला

बाबत सन १९ (१ अप्रैल १९ से ३१ मार्च १९ तक)

		आमदनियात मुतवक्का					
				मरम्मत बजट बाबत (साल खां			
नम्बर मद	नाम मद	आमदनी वाकई बाबत १९ पिछले साल का	बजट बाबत १९ (साल खां)	वाकई आदाद नम्बर १९ तक	तखमीनी आदाद दिसम्बर १९ से मार्च १९ तक	मीजान खान नं०	बजट बाबत १९ (साल आइन्दा)
१	२	३	४	५	६	७	८
१	ओपनिंग बैलेन्स (अ) तहवील						
	(ब) बैंक						
	मीजान मद नं० १						
२	आराजियात काश्त वगैरा (अ) जरिए गल्ला						
	(ब) आराजियात से दूसरी दूसरी आमदनीयात						
	मीजान मद नं० २						
३	३. किरायाजात (अ) किराया मकानात						

१	२	३	४	५	६	७	८
३	ब) किराया दुकानात						
	ज) किराया अराजयात (गैरजरई)						
	मीजान मद नं ३						
४	चन्दा जात अताया अ) नक्द ब) कीमत अशया अताभुदा ज) गर्वनमेंट ग्रान्ट मीजान मद नं० ४						
५	मुनाफाजात अ) ब्रान्डस वगेरा से ब) डिपाजिट से मीजान मद नं० ५						
६	मुतार्फीकात अ) कीमत लकड़ी,घास जलाऊ लकड़ी, रेत पत्थर, मिट्टी वगेरा ब) दीगर आमदनीयात मीजान मद नं० ६						
७	गैरमामूली आमदनीयात अ) बाजयाफ्त कर्जा ब) बतौर कर्ज ज) जरे जमा की वापसी द) कीमत फरोख्त जायदाद न) जरे रहन जायदाद मीजान मद नं० ७						
८	गैर मुताअईयन आमदनियात अ) जमानत ब) वापसी जरे पेशगी मीजान मद नं० ८						
	मीजान कुल						

दस्तखत मुता बल्ली　　　　तारीख

खर्चा मुतवक्कका

न० मद	नाम मद	खर्चा वाकई १९ पिछले साल का	बजट बाबत १९ (साल खाँ)	मुरमयमा बजट १९ (साल खाँ) वाकई अदाद नवम्बर १९ तक	तखमीनी आदाद दि० १९ से मार्च १९ तक	मीजान खाँ न० ५ व ६	बजट बाबत १९ साल आइन्दा
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मशाहिरात मुलाजमान अ) बराय बसूली आमदनयात ब) बराय इन्तजाम बक्फ मीजान मद नं०१						
२	मसारिफ अगराज वक्फ मुताबिक हिदायात वाकिफ या रस्म व रिवाज अ) अलाउन्स मुतवल्ली दीगर अशखास बराय अगराज मजहबी ज) बराय अगराज खैर १] तालीम २] दीगर द) मुतार्फरिक अगराज मीजान नं० २						
३	तहफ्फुज जायदाद वक्फ अ) रिजर्व फन्ड ब) मुकदमाती ज) दीगर मीजान मद न ३						

१	२	३	४	५	६	७	८
४	मरम्मत व तामीर जायदाद अ) मरम्मत मामूली ब) मरम्मत गैर मामूली ज) तामीर जदीद द) अमला तामीरात मीजान मद नं० ४						
५	टैक्स वगैरा अ) माल गुजारी आराजी ब) मियुनिसपल टैक्स ज) चन्दा निगरानी बोर्ड मीजान मद नं० ५						
६	मसारिफ मुतफर्रिक मीजान मद नं० ६						
७	इनवेस्ट मेन्ट अ) खरीद जायदाद गैर-मन्कूला ब) तामीर बराये अफ-जाइश आमदनी वक्फ ज) खरीद बान्ड वगैरा मीजान मद नं० ७						
८	गैर मुअय्यन मसारिफ अ) वापसी अमानत ब) पेशगियात ज) वापसी कर्जा मीजान मद नं० ८						
९	बेलेन्स आखिर साल पर अ) नक्द तहवील में ब) बैंक में मीजान मद नं० ९						
	कुल मीजान						

दस्तखत मुतावल्ली　　　　　　　　　　तारीख

नोट नं० १ हर तखते के हमराह एक जिमनी तखता हर उस मद का जिसमें किसी तफसील की जरूरत हो, शामिल किया जाये ।

फार्म नं० ५

रजिस्टर वासिल बाकी चन्दा निगरानी

एम० पी० वक्फस बोर्ड भोपाल

नाम वक्फ — नाम

न० रजिस्ट्रेशन — मुतावल्ली

नं० मिसिल आडिट सेक्सन — मय पता

बकाया साबका	नाम सन	तफसील आमदनी			शरहेफीसदी	चन्दा निगरानी मुशखिशा	तारीख वसूल	हवाला रसीद	रकम वसूल शुदा	बाकी	कैफियत
		कुल आमदनी	मिनहाई	खालिस आमदनी							

फार्म नं० ६
दहत दफा ३२ वक्फ एक्ट

तखता हिसाब आमद व खर्च वाकई वक्फ मोमूमा ....वाके

तहसील जिला

बाबत १६ [१ अप्रेल १६ से ३१ मार्च तक]

आमदनीयात वाकेई

नं० मद	नाम मद	रकम
१	१ ओपनिंग बेलेन्स अ] तहवील ब] बैंक मिजान मद नं० १	
२	२ आराजियात काश्त वगैरा अ] जरिये गल्ला ब] आराजियात से दूसरी आमदनियात मिजान मद नं २	
३	३ किरायाजात अ] किराया मकानात ब] किराया दुकानात ज] किराया आराजियात (गैर जरई) मीजान मद नं० ३	
४	४ चन्दा व अताया अ] नकद ब] कीमत अशयाऐ अदाशुदा ज] गवरमेन्ट गिरान्ट मीजान मद नं० ४	
५	५ मुनाफा जात अ] बान्डस वगैरा से ब] डिपाजिट से मिजान मद नं० ५	

नं० मद	मद	रकम
६	६ मुतफर्रिकात	
	अ) मुआवजा जो मुलाजमान से बर बिनाय नुकसानात वसूल हुआ	
	ब) कीमत, लकड़ी, घास, जलाऊ लकड़ी, रेत, पत्थर मिट्टी वगैरा	
	ज) दीगर आमदनियात	
	मीजान मद नं ६	
	मीजान सफा हाजा	
	मीजान सफा साबिक	
७	७ गैर नामूली आमदनियात	
	अ) बाजयाफ्त करजा	
	ब) बतौर कर्ज	
	ज) जरेजमा की वापिसी	
	द) कीमत फरोख्त जायदाद	
	ह) जरे रहन जायदाद	
	मीजान मद नं० ७	
८	८ गैर मुताअय्यन आमदनियात	
	अ) अमानत	
	ब) वापसी जर पेशगी	
	मीजान मद नं० ८	
	मीजान कुल	

(दस्तखत मुतावल्ली) तारीख

खर्च वाकेई

नं० मद	नाम मद	रकम
१	१ मुशाहिरात मुलाजिमान अ) बराये वसूली आमदनियात ब) बराये इन्तजाम वक्फ मीजान मद नं० १	
२	२ मसरफ अगराज वक्फ मुताबिक हिदायात वाकिफ या रस्म व रिवाज अ) अलाउन्स मुतावल्ली व दीगर अशखास ब) बराये अगराज मजहबी ज) बराये अगराज खैर १) तालीम २) दीगर द) मुतार्फरिक अगराज मीजान मद नं० २	
३	३ तहफ्फुज जायेदाद वक्फ अ) रिजर्व फन्ड ब) मुकदमाती ज) दीगर मीजान मद नं० ३	
४	४ मरम्मत व तामीर जायदाद अ) मरम्मत मामूली ब) मरम्मत गैर मामूली ज) तामीर जदीद द) अमला तामीरात मीजान मद नं० ४	
५	५ टेक्स वगेरा अ) मालगुजारी आराजी ब) मियनिसपल टेक्स ज) चन्दा निगरानी बोर्ड मीजान मद नं० ५	

नं० मद	नाम मद	
६	मीजान मुतफर्रिक मीजान मद नं० ६	
७	इन्वेन्ट मेन्ट अ] खरीद जायदाद गैर मनकूला ब] तामीर बराये अफजाइश आमदनी वक्फ खरीद बांडस वगैरा मीजान मद नं० ७	
८	गैर मुईय्यन मसारिफ अ] वापसी अमानत ब] पैशगीयात ज] वापसी कर्जा मीजान मद नं० ८	
९	वेलेन्स आखिर साल पर अ] नक्द तहवील में ब) बैंक में मीजीन मद नं० ९	
	मीजान कुल	

तस्दीक की जाती है कि जुमला इन्द्राजात आमदनी खर्च बरूबे हिसाबी कुतुब सही दुरुस्त हैं और मैं उनकी सेहत का जिम्मे दार हूं ।

दस्तखत मुतावल्ली तारीख

नोट :-इन्द्राजात मीजान जहां जहां भी हों सुर्ख रोशनाई से तहरीर किये जाएें ।

फार्म नं० ७

दफ्तर एम० पी० वक्फ बोर्ड भोपाल

मिसिल नं०..........सीगाआडिट

कायम करदा एम. पी. गवर्नमेन्ट तहत दफआत, ६, ११ मजरिया नं०...............

वक्फ एक्ट ५४ई० डिमान्ड नोटिस तहत दफा ४६ तारीख मजरिया...............

(१) वक्फ एक्ट १९५४ ई० ।

नाम मुतावल्ली मय पता...

हिसाब मोसूल होने का हवाला (अगर हो)

मुबलिग...............रुपये चन्दा निगरानी मुतखिसा हस्ब तफसील जेल अन्दर मियाद दो हफ्ता इरसाल फरमाए ।

नाम वक्फ	न० शुमार	सन	कुल आमदनी तखता हिसाबात	मिनहाई तहत दफा ३ (डी)	खालिस आमदनी	रकम जिसपर चन्दा निगरान तशखीस किया गया	शरहे फीसद	रकम मुतालिबा काबिले अदा	कैफियत	हवाला इन्द्र-राज रजिस्टर-मुतालिक
										A/C No. (दर्जशुदा)

दीगर रिमार्कस के लिए (अगर हों) मुलाहिजा तलब पुश्तहाजा

नोट :—बामनशा दफा ४६ (४) चन्दा निगरानी बा मुकाबला दीगर मसारिफ सब से पहले काबिले अदा है बा सूरत अदम अदाई मतालबा मुनदर्जा मिसिल बकाया माल गुजारी बसूल होगा ।

दस्तखत तरवीन कुनिंदा दस्तखत इन्चार्ज सेक्शन सिक्रेट्री एम. पी. वक्फ बोर्ड भोपाल

फार्म न० ८

रजिस्टर एत राजात

(देखो कायदा ७४) [६]

नम्बर शुमार १	तारीख वसूल २	नाम और पता एतेराज कुनिन्दा ३	नम्बर इन्देराज ४	हुक्म का खुलासा ५

690

फार्म नं० ९

दरखास्त मायना

[दफा ७५ (२) देखिये]

१– नम्बरोतारीख,

२– दरखास्त गुजार का नाम और पता।

३– दस्तावेज की नोइयत।

४– अगर दस्तावेज किसी वक्फ से मुताल्लिक है तो दरखास्त गुजार का उस वक्फ़ से ताअल्लुक।

५– दरखास्त की मन्जूरी या नमन्जूरी के सिलसिले में हुक्म।

६– तलाश की फीस जो जमा की गई – मामूली

७– ,, ,, ,, फौरी

८– रकम की वसूली के सिलसिले में खजान्ची के दस्तखत।

९– तारीख और वक्त जब मायना कराया जा सकेगा।

१०–वसूली दरखास्त के सिलसिले में अफसर के दस्तखत।

११–केफियत।

फार्म नं० ११

रजिस्टर बराएनरी कार्ड दरखास्त

[देखो कायदा ७६ (६)]

नं० शुमार	तारीख दरखास्त	नाम दरखास्त गुजार	तफसील रिकार्ड तारीख और नम्बर दस्तावेज का जिसकी नकल मतलूब है	फीस जो दरखास्त के साथ पेशगी दी गई	अदायगी बकाया मय तारीख	मीजान
१	२	३	४	५	६	७

तादाद अल्फाज और रकम	मसारिफ डाक	रकम वापस की गई	कुल	ना मन्जूरी के असबाब	तारीख तैयारी	तारीख तरसील	रिमार्कस
८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

फार्म नं० १०

रजिस्टर मायना

[देखो कायदा ७५ (७)]

नम्बर शुमार १	रिकार्ड की तफसील २	तारीख दस्तखास्त ३	आम या फोरी ४	तारीख मायना ५	मियाद मायना ६	फीसमायना अदा शुदा ७	नाममायना कुनिन्दा ८	तलाश करने कीफीस अगर अदा की गई ९	रिमार्कस अगर कोई हो १०

GULSHAN PRINTERS, BHOPAL